मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय

प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

"प्रशासन की डोर, सुशासन की ओर"

मंत्रालय पर वंदेमातरम्

मंत्रालय पर वंदेमातरम्

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015 - 2016

''प्रशासन की डोर, सुशासन की ओर''

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रीगण एवं अधिकारी**	1 - 2
	भाग - एक	3 - 60
2.	**विभागीय संरचना**	3 - 11
	2.1 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
	(क) राजनैतिक	
	(ख) सामान्य	
	(ग) नियुक्तियॉ एवं सेवाएं	
	(घ) प्रशिक्षण	
	(च) प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता	
	(छ) कर्मचारी कल्याण	
	(ज) विविध	
	2.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	
	2.3 विभाग के आयोग तथा कार्यालय	
	2.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम	
3.	**विभाग के महत्वपूर्ण विषय**	12 - 37
	3.1 मंत्रि-परिषद	
	3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम	
	3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	
	3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स	
	3.5 मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा	
	3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान	
	3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण	
	(1) अशोकचक्र श्रृंखला पुरस्कार	
	(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार	
	(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार	
	(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार	
	(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरस्कार	
	(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सदभावना पुरस्कार	
	(7) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	
	(8) सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार	
	(9) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान	
	3.9 अन्तर्विभागीय समिति	
	3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान	
	3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	
	3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि	
	3.13 कार्मिक नीति	
	3.14 आरक्षण	
	3.15 लेखा शाखा	
	3.16 कर्मचारी कल्याण	
	3.17 कार्य नीति	
	3.18 निरीक्षण	
	3.19 प्रशासनिक सुधार	
	(1) ''मंथन 2014'' समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही	
	(2) सुराज मिशन	
	(3) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण	
	(4) जन सुनवाई	
	(5) परख	
	(6) दृष्टिपत्र 2018	
	(7) प्रशासन अकादमी भोपाल	
	(8) मंत्रालय में वाई-फाई कनेक्टिविटी	
	(9) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा मैदानी कार्यालयों का औचक निरीक्षण	
	(10) ''आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश'' सम्मेलनों का आयोजन	
	3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन	
	3.21 संसदीय कार्य	
	3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन	
	3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार	
	3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य	
	(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा	
	(2) राज्य प्रशासनिक सेवा	
	(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना	
	(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना	
	(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ-श्रेणी स्थापना)	

4. **विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियां** 38 - 60
4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
4.4 लोकायुक्त संगठन
4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) संगठन
4.7 विभागीय जांच आयुक्त
4.8 मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल भवन, नई दिल्ली तथा मध्यालोक, मुम्बई
4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति
4.12 राज्य सत्कार कार्यालय

भाग - दो 61 -63

5. **बजट**
5.1 मांग संख्या - 01
5.2 मांग संख्या - 02

भाग - तीन 64 - 65

6. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

भाग - चार 66 - 67

7. जांच आयोग

भाग - पांच 68

8. अभिनव योजना/कार्य

भाग - छः 68

9. निकाले जा रहे प्रकाशन

भाग - सात 69

10. महिला सशक्तिकरण

भाग - आठ 70 - 71

11. सारांश

परिशिष्ट - एक - सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों मे कार्य आवंटन 72 - 81
परिशिष्ट - दो - राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची 82 - 83

--- - ---

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015 - 2016

1. सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारी

मुख्यमंत्री	श्री शिवराज सिंह चौहान
राज्य मंत्री	श्री लाल सिंह आर्य
मुख्य सचिव	श्री ॲन्टोनी डिसा
प्रमुख सचिव	श्री एम.के.वार्ष्णेय
प्रमुख सचिव (समन्वय)	श्री सतीश मिश्र (मुख्य सचिव कार्यालय)
सचिव (कार्मिक)	श्रीमती रश्मि अरूण शमी
सचिव, सामान्य प्रशासन	रिक्त
अपर सचिव	श्री आनंद शर्मा श्री के.के.कातिया श्रीमती शोभा इवनाती
उप सचिव	श्री रमेश चंद्र भंडारी श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (कार्मिक) श्रीमती उषा परमार श्री सुधीर कोचर (कार्मिक) डॉ. अमिताभ अवस्थी श्री सी.बी.पड़वार श्री एस.सी.रामसरिया

राज्य शिष्टाचार अधिकारी पदेन उप सचिव	श्री संजय कुमार मिश्र
अवर सचिव	श्री एम. के. बातव (कार्मिक) श्री फजल मोहम्मद (कार्मिक) श्री आर. एन. चौहान श्रीमती श्यामबाई धुर्वे श्री प्रदीप जैन श्री घनश्याम मूलानी श्री श्याम कुमार मूलचंदानी श्री अजय नथानियल
उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन)	रिक्त
मुख्य लेखा अधिकारी	डॉ. सुधीर यादव
वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं पदेन अवर सचिव (लेखा)	श्री सतीश उपाध्याय
लेखा अधिकारी	श्री दीपक धगट
सत्कार अधिकारी	श्री संजय सिंह चौहान

भाग - एक

2. विभागीय संरचना

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का मुख्य विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से नीति संबंधी विषय, अन्तर्विभागीय समन्वय, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम/निर्देश, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवायें, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, सतर्कता तथा प्रशिक्षण तथा राज्यपाल सचिवालय से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है।

विभाग में कार्य संपादन हेतु वर्तमान में एक प्रमुख सचिव, एक सचिव (कार्मिक), तीन अपर सचिव, सात उप सचिव, एक राज्य शिष्टाचार अधिकारी, एक मुख्य लेखा अधिकारी, आठ अवर सचिव, एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं पदेन अवर सचिव (लेखा), एक सत्कार अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी पदस्थ हैं।

विभाग के बीस कक्ष तथा सात प्रकोष्ठ हैं। कक्षों एव प्रकोष्ठों में संपादित होने वाले कार्यों का विवरण **परिशिष्ट - एक** पर दर्शाया गया है।

विभाग में प्रतिपादित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(2.1) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना
4. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संरचना
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग-पत्र, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा भत्ते
7. मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित कार्य
8. राजस्व मण्डल-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
9. संघ लोक सेवा आयोग से समन्वय
10. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले -

    (एक) सेवा की शर्तें

    (दो) कृत्यों का परिसीमन

11. राज्य निर्वाचन आयोग

12. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य :

(क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नोडल विभाग के रुप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1) भारत सरकार,

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,

(3) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य

राजनैतिक

13. राजनैतिक क्रियाकलाप
14. पाक्षिक प्रतिवेदन
15. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)
16. भारत- पाक संबंध
17. युद्ध और शांति
18. संयुक्त राष्ट्र संघ
19. भारत की प्रतिरक्षा
20. नौ सेना, थलसेना, वायुसेना
21. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन
22. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात् -

(एक) एकीकरण करार

(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियाँ, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते

(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोह के रुप में मनाये जाने वाले समारोह, और

(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय

23. पारितोषक और अलंकरण
24. राष्ट्रीय एकीकरण
25. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
26. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय
27. क्षेत्रीय परिषद्
28. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण
29. प्रादेशिक सेना

30. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध
31. सम्मेलन-संसद सदस्य/आयुक्त/कलेक्टर
32. जिला सलाहकार समितियां
33. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
34. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
35. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि
36. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जन-सम्पर्क दौरे
37. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन
38. मीसा बन्दियों को सम्मान निधि

सामान्य

39. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत
40. राज्य चिन्ह
41. राष्ट्रीय त्यौहार
42. राज्य के उत्सव और समारोह
43. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय कलेण्डर
44. शासकीय पोशाक
45. पूर्वता-अधिपत्र
46. महत्वपूर्ण घटनाएं
47. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश
48. अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आगमन
49. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
50. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से संबंधित विषय
51. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
52. शासकीय भवनों का नामकरण
53. राजपत्र (असाधारण)
54. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी

नियुक्तियां एवं सेवाएं

55. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा से संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ - नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियाँ, दण्ड तथा अभ्यावेदन
56. सिविल सेवा और सेवावृत्त
57. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण

58. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग)

59. मंत्रालय -
    (एक) अधिकारी तथा स्थापना
    (दो) प्रशासनिक सुधार
    (तीन) भवन

60. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव

61. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय

62. राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना

63. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना

64. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित)

65. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना

66. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये उनके चरित्र और पूर्ववत् तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति

67. श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना

68. वेतन आयोग से संबंधित कार्य

69. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, प्रारुपित तथा प्रवर्तित किये गये हैं

70. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, नि:शक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों एंव महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति

71. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिये युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना

72. पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना

73. विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का समय पर आयोजन तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे की उचित रुप से पूर्ति सुनिश्चित करना।

74. परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों के पालन का पर्यवेक्षण।

75. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्ते आदि तय करना

76. सामान्य स्वरुप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना

77. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति
78. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति

प्रशिक्षण

79. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति
80. नव नियुक्तों के लिये तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना
81. प्रशासन-प्रशिक्षण-आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय
(क) विभागीय परीक्षाऐं

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता

82. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति
83. कर्मचारी निरीक्षण इकाई
84. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ
85. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त
86. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी
87. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (22.6.12 से परिवर्तित) से संबंधित कार्य
88. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय
89. विशेष पुलिस स्थापना
90. जांच आयोग

कर्मचारी कल्याण

91. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी (सेवा) संघों को मान्यता देना
92. संयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये बैठक का आयोजन
93. मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के निर्वाचित प्रदेश एवं जिला स्तर कर्मचारी पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छुट संबंधी।

विविध

94. विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न, जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य सूची में न आए हों.

95. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी।

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी।

(2.2) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम
2. मध्यप्रदेश शासन कार्य नियम
3. मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियम
4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1954
5. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 1973
7. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1957
8. मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008
9. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972
10. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम
11. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम
12. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979
13. जांच आयोग अधिनियम, 1952
14. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
15. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1995
16. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994
17. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998
18. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002
19. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997
20. भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985
21. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
24. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
25. मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005
26. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित)
27. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008
28. मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 2011
29. म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013
30. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012)
31. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012

(2.3) विभाग के आयोग एवं कार्यालय

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	राजभवन सचिवालय	श्री अजय तिर्की श्री शैलेन्द्र कियावत	राज्यपाल के प्रमुख सचिव उप सचिव
2	लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संगठन भोपाल	मान. न्यायमूर्ति श्री पी.पी. नावलेकर श्री अरूण कोचर	लोकायुक्त सचिव
3	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	डॉ. व्ही. एम. कंवर डॉ. व्ही. एम. कंवर श्री विनोद कुमार	कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्य प्रमुख सचिव
4	मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	श्री आर. परशुराम श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	राज्य चुनाव आयुक्त सचिव
5	मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	रिक्त	सचिव
6	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	डॉ बी. बी. ब्यौहार प्रो. एस. पी. गौतम श्री मनोहर दुबे श्रीमती वंदना वैद्य	कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्य सचिव उप सचिव
7	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल	श्रीमती कंचन जैन श्रीमती शिखा दुबे	महानिदेशक संचालक
8	विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन भोपाल)	श्री अजय कुमार शर्मा	महानिदेशक
9	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल	डॉ. विजय यादव	महानिदेशक

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
10	विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय, भोपाल	रिक्त	विभागीय जांच आयुक्त
11	मध्यप्रदेश भवन, नई-दिल्ली	रिक्त रिक्त	आवासीय आयुक्त विशेष आयुक्त
12	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन, भोपाल	श्री एन. के. कश्यप	मुख्य तकनीकी परीक्षक
13	राज्य सत्कार कार्यालय	श्री संजय कुमार मिश्र	राज्य शिष्टाचार अधिकारी

(2.4) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. राज्य प्रशासनिक सेवा
3. मध्यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा
4. राजभवन, तत्कालीन मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, प्रशासन अकादमी और राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश सूचना आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय

3. विभाग के महत्वपूर्ण विषय

3.1 मंत्रि - परिषद

(1) प्रदेश की नवीन गठित मंत्रि-परिषद में वर्तमान में 23 सदस्य हैं। इनमें मुख्य मंत्री के अतिरिक्त 18 मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री हैं।

(2) वर्ष 2015 में 04 मंत्रि-परिषद् समितियां गठित की गई।

3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

राज्य शासन के कार्य के सुविधाजनक संपादन हेतु संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के तहत निम्नलिखित नियम बनाये गये हैं -

(1) मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम

(2) मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम पुस्तिकाओं को अद्यतन किया जाकर दिनांक 30.11.2013 की स्थिति में प्रकाशित कराया गया।

राज्य शासन का कार्य, कार्य (आवंटन) नियमों के तहत 64 विभागों में विभक्त था। तात्कालिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 11 विभागों को विलोपित किया गया है। अतः वर्तमान में 53 विभाग क्रियाशील हैं। विभागों की सूची **परिशिष्ट - दो** पर है।

3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय-

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जबलपुर में एवं खण्डपीठें इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थित हैं।

3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स-

विभिन्न शासकीय आयोजनों हेतु पूर्वता अधिपत्र **आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स** का निर्धारण संबंधी अधिसूचना दिनांक 23/12/2011 को जारी की गई।

3.5 मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा-

निगम / मण्डल / आयोगों आदि में 18 अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री स्तर तथा 05 अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया।

3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान

मंत्रि-परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले स्वेच्छानुदान की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:-

मुख्यमंत्री	-	रु. दो करोड़
मंत्री	-	रु. बीस लाख**
राज्य मंत्री	-	रु. पन्द्रह लाख**

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में रू 69.17 करोड़ का प्रावधान है।

उपरोक्त वार्षिक सीमा के अध्यधीन नियम के अंतर्गत किसी एक प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकतम रूपये दो लाख, माननीय मंत्री द्वारा रूपये बीस हजार एवं माननीय राज्यमंत्री द्वारा रूपये सोलह हजार की राशि स्वीकृत की जा सकती है।

* मंत्रीगण के जनसम्पर्क दौरे के लिये प्रति विधान सभा क्षेत्र में रुपये दो लाख पचहत्तर हजार के मान से राशि प्रावधानित की गई है जिसमें से जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर जिलाध्यक्ष स्वीकृति जारी करते हैं। इस मद से राशि के व्यय हेतु योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वविवेक से करते हैं। इस मद के तहत विधान सभा क्षेत्र के लिये आवंटित होने वाली रुपये दो लाख पचहत्तर हजार की राशि में से रुपये पचहत्तर हजार की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित रहती है, जिसकी अनुशंसा माननीय लोक सभा सांसद द्वारा की जाती है।

* (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2004/एक(1) दिनांक 10/06/2006 एवं 21/02/2011 द्वारा संशोधित)

** (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 7-289/2010/एक(1) दिनांक 20/10/2010 द्वारा संशोधित)

माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद वित्तीय वर्ष 2015 - 2016 में आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	फरवरी 2016 तक व्यय राशि	कुल आदेश
2015-16	69,17,00,000	65,64,93,924	695

माननीय मंत्रीगणों के स्वेच्छानुदान मद से राशि वितरित करने के संबंध में कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये है।

3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण

(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार

सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस एवं अभूतपूर्व कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कारों के अंतर्गत अशोकचक्र, कीर्तिचक्र एवं शौर्यचक्र प्रदान किये जाते हैं। उक्त शौर्य पारितोषिक से सम्मानित सैनिक/असैनिक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, को राज्य शासन की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। दिनांक 31/12/2015 तक राशि रूपये 1,84,550/- नगद अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार

प्राकृतिक संकट में ग्रस्त व्यक्तियों, कुख्यात डाकुओं, असामाजिक तत्वों द्वारा घटित घटना/असामाजिक उपद्रवों तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के समय व्यक्ति/व्यक्तियों जनसमूह के प्राणों की रक्षा करने में वीरतापूर्ण कार्य का परिचय देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को शासन की ओर से नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाते हैं। दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1- सर्वोत्तम वीरतापूर्ण कार्य	रुपये 25,000/-
2- उत्तम वीरतापूर्ण कार्य	रुपये 15,000/-
3- वीरतापूर्ण कार्य	रुपये 10,000/-

(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार -

विभाग द्वारा प्रदेश के स्थाई निवासी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिये महाराणा प्रताप शौर्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत रुपये एक लाख केवल का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्तियों को राशि रूपये 3,00,000/- स्वीकृत किये गये।

(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार -

प्रदेश सरकार ने युवाओं में धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढाने, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एकता एवं मानवता की सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिये संत महापुरुषों के नाम पर रुपये 50,000/- के पांच पुरस्कार निम्नानुसार स्थापित किये गये हैं:-

1. कबीर राज्य सम्मान पुरस्कार
2. शंकराचार्य राज्य सम्मान पुरस्कार

3. गुरुनानक राज्य सम्मान पुरस्कार
4. गौतम बुद्ध राज्य सम्मान पुरस्कार
5. रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार

(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरस्कार -

राज्य शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, ऐसी संस्थाओं या अशासकीय व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक उपद्रव रोकने के लिये उत्कृष्ट सेवा की हो तथा जिन्होंने अल्पसंख्यकों की भलाई के लिये निर्धारित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में श्रेयस्कर कार्य किया हो, को निम्नानुसार राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं:-

पुरस्कारों की श्रेणी		कुल संख्या	पुरस्कार की राशि
1. प्रथम पुरस्कार	-	6	रुपये 15,000/- प्रत्येक
2. द्वितीय पुरस्कार	-	6	रुपये 10,000/- प्रत्येक
3. तृतीय पुरस्कार	-	10	रुपये 05,000/- प्रत्येक

(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार -

राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न धर्मों/ सम्प्रदायों/ समाजों में व्याप्त कुरीतियों/ कटुता/ वैमनस्य को दूर कर सामाजिक सद्भावना स्थापित करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंजीकृत संस्था को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से रुपये 1.00 लाख का भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार स्थापित किया है। यदि पुरस्कार के लिए एक से अधिक संस्थाऐं पात्र होगीं तो पुरस्कार की राशि, उनमें बराबर-बराबर वितरित की जावेगी।

(7) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार -

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार निम्नानुसार स्थापित किये गये हैं:-

1- <u>राज्य स्तरीय पुरस्कार</u>

(अ) <u>व्यक्तिगत</u>

प्रथम पुरस्कार	रुपये एक लाख
द्वितीय पुरस्कार	रुपये पचहत्तर हजार
तृतीय पुरस्कार	रुपये पचास हजार

(ब) अधि. कर्म. के समूह (टीम) हेतु पुरस्कार रुपये तीन लाख

(स) शासकीय कार्यालय/ संस्था हेतु पुरस्कार रुपये पांच लाख

2- जिला स्तरीय व्यक्तिगत पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	रुपये पच्चीस हजार
द्वितीय पुरस्कार	रुपये पन्द्रह हजार
तृतीय पुरस्कार	रुपये दस हजार

(8) सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार

संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 68 पर कार्यवाही के तहत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरूस्कृत करने के लिए संबंधित विभागों में ''सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना'' लागू की गई है। उक्त पुरस्कार योजना अंतर्गत मांग संख्या-2 में वर्ष 2013-14 हेतु रूपये 10.00 लाख का प्रावधान है।

(9) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

प्रदेश के प्रादेशिक सेना अलंकरण एवं प्रादेशिक सेना मेडल से सम्मानित सैनिकों को पुरस्कृत होने पर राज्य शासन की ओर से क्रमशः रुपये 5,000/- एवं रुपये 3,000/- नगद पुरस्कार स्वीकृत किये जाते हैं। दिनांक 30/12/2015 तक राशि रूपये 15,000/- नगद पुरस्कार स्वीकृत किये गये हैं।

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

प्रादेशिक सेना सागर/महू को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाये जाने वाले प्रादेशिक सेना दिवस के आयोजन हेतु इस विभाग द्वारा नगद अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

अन्तर्विभागीय समिति के गठन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक 60 अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के आदेश जारी किये गये हैं।

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतकों के परिवार को अधिकतम रुपये

15,000/- एवं गंभीर घायलों को रुपये 7,500/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

इस मद के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक जिलों को रुपये 2,55,00,000/- का आवंटन दिया गया।

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि नियम, 1972 की कंडिका-2 के अंतर्गत जिन्होंने आजादी की लड़ाई में वर्ष 1919 से 1946 तक की अवधि के दौरान भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है एवं नियम 3 की पूर्ति करने वालों को सम्मान निधि भी स्वीकृत की जाती है। साथ ही राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को अभिमत हेतु भेजा जाता है एवं आजादी की लड़ाई वर्ष 1919 से 1946 के बाद के भी कतिपय आंदोलनों यथा भूतपूर्व भोपाल राज्य में सन् 1949 मे हुए गोलीकांड, गोवा मुक्ति आंदोलन, 15 अगस्त, 1955 मे भाग लेने वालों को भी सम्मान निधि स्वीकृति का प्रावधान है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

1. राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में रुपये 15,000/- दिनांक 15.12.2011 से राज्य सम्मान निधि की गई है।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरण भी राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
3. राज्य सम्मान निधि प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होने पर उनकी अन्त्येष्टि आदि के लिये रुपये 4,000/- की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है।
4. राज्य सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नांकित सुविधायें राज्य सम्मान निधि तथा केन्द्रीय सम्मान निधि पाने वाले सेनानियों को दिए जाने के निर्देश हैः-
    - कृषि प्रयोजन के लिए भूमिहीनों को शासकीय भूमि का आवंटन
    - मृत सेनानी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता
    - सेनानी के पुत्र- पुत्रियों के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश।
    - प्रदेश के सेनानियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार।
    - सेनानी के पुत्र-पुत्रियों को मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षण की सुविधा।
    - सेनानी के पौत्र एवं पौत्रियों के लिए इंजिनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण।

- सेनानी के पुत्र एवं पौत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में समस्त पॉलीटेकनिक तथा उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों एवं कला निकेतन, जबलपुर की उच्चतर माध्यमिक तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रिंटिंग टेक्नालॉजी पत्रोपाधि में प्रवेश हेतु आरक्षण।
- सेनानियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के समय सम्मान देने हेतु शासन का प्रतिनिधित्व।
- मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित भू-खण्डों एवं निर्मित भवनों का आवंटन आरक्षण।
- शासन द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारियां यथा कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, घुटना जोड बदलना, हिप बदलना, न्यूरो सर्जरी, प्रोस्टेड सर्जरी, टी.बी., कृत्रिम अंग लगाना आदि के इलाज के लिए जिन्हें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गंभीर प्रवृति की प्रमाणित किया गया हो को चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 के तहत रुपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
- राज्य सेनानियों को निःशुल्क डेंचर, चश्मा तथा श्रवण यंत्र दिये जाने की सुविधा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2015 -2016 में रुपये 30.00 करोड का प्रावधान किया गया।

मध्यप्रदेश स्वतंत्रा संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 तथा दिसम्बर, 2011 तक संशोधित नियमों तथा संबंधित आदेशों/निर्देशों का संकलन कर प्रकाशन जनवरी, 2015 में किया गया।

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधिः-

1. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन सम्मान निधि में वृद्धि के अंतर्गत एक माह या एक माह से अधिक किन्तु छः माह तक की अवधि के लिये निरूद्ध रहे हो. उन्हें रू. 10000/- प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो छः माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हो उन्हें रू. 15000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी । सम्मान निधि मे बढोत्तरी दिनांक 04/01/2012 से की गई है। मीसाबंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के समान चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
2. अधिसूचना दिनांक 04/01/2012 द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम-2008 में नियम-4 में संशोधन किया गया है।

3. मीसा/डी.आई.आर. में निरूद्ध रहे व्यक्तियों को सम्मान निधि/चिकित्सा सुविधा आदि के लिये वर्ष 2015-16 के लिये कुल राशि रू. 7.5 करोड का प्रावधान किया गया है।

3.13 कार्मिक नीति

(1) सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध लंबित विभागीय जांच प्रकरणों का समयावधि में निराकरण करने के निर्देश दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(2) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में ''संविलियन योजना की समय-सीमा में वृद्धि'' के निर्देश दिनांक 10 फरवरी, 2015 एवं दिनांक 11 अगस्त 2015 को जारी किये गये।

(3) शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) के स्कोर कार्ड की अनिवार्यता के निर्देश दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(4) शासन विभिन्न विभागों में व्यापम से सीधी भरती हेतु ''मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 संशोधन'' अनुसार कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.1 एवं 6.2 क्रमशः कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश विभागीय परिपत्र क्रमांक सी 3-7/2013/1/3 दिनांक 20 मई, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(6) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में ''संविलियन की योजना'' के परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटर दक्षता संबंधी छूट संबंधी निर्देश दिनांक 27 जून, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(7) व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना संबंध निर्देश दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(8) शासकीय सेवकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-16 अंतर्गत लघुशास्ति के प्रकरणों के समयावधि में निराकरण के निर्देश विभागीय परिपत्र क्रमांक सी 6-3/2015/3/एक दिनांक 01 अगस्त, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(9) कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण संबंधी निर्देश दिनांक 18 अगस्त, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(10) एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा संबंधी निर्देश दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(11) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों को शासकीय गवाह के रूप में आहुत किये जाने पर टी.ए./डी.ए. प्रदाय करने के संबंध में निर्देश विभागीय परिपत्र क्र. सी 6-4/2015/3/एक दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(12) हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण परीक्षा - व्यावसायिक पाठ्यक्रम में व्होकेशनल कोर्स के स्टेनो टायपिंग को मान्यता प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिनांक 09 नवम्बर, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(13) विभागीय जांच में आरोप-पत्रादि की तामीली ई-मेल के माध्यम से किये जाने संबंधी निर्देश दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(14) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 3(1) में संशोधन के संबंध में निर्देश विभागीय परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2015/3/एक, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा जारी किये गये।

(15) विभिन्न विभागों से प्राप्त समयमान वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 10 बैठकें आयोजित कर अनुशंसा की गई है।

(16) विभिन्न विभागों से परामर्श हेतु प्राप्त लगभग 1700 नस्तियों/प्रकरणों में परीक्षणोपरांत परामर्श दिया गया।

<u>लोक सेवा गारंटी</u>

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आरक्षण प्रकोष्ठ से संबंधित (एक सेवा) जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी अधिसूचित की गई है। दिनांक 01 जुलाई, 2014 से इसका विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है और इस विशेष अभियान के तहत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र संकलित कराकर पदाभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 से अब तक प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 01 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 01 करोड़ 13 लाख से अधिक आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। यह अभियान निरंतर जारी है।

दिनांक 01/04/2015 से 28/01/2016 की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियम शाखा से संबंधित (दो सेवाएं) सेवा क्रमांक 6.1 कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के कुल 70,945 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 64,097 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है एवं सेवा क्रमांक 6.2 कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र जारी करने के कुल 1,07,501 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 1,04,293 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

3.14 आरक्षण

(1) आरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निशक्तजनों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिये लोक सेवाओं एवं पदों में आरक्षण का निर्धारण, उनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी नीति के निर्धारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(2) राज्य की लोक सेवा एवं पदों मे अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा सीधी भरती के प्रक्रम में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) (हॉरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्ट), निःशक्तजनों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 06 प्रतिशत (हॉरिजेण्टल) एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 20 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान है।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजनों के बैकलॉग पूर्ति के लिए चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा दिनांक 30 जून, 2016 तक बढ़ाई गई है। इस पूरे अभियान के तहत अब तक अनुसूचित जाति के 14110, अनुसूचित जनजाति के 24806 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 9317 कुल 48233 पदों की पूर्ति की जा चुकी है।

(4) निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने हेतु दिनांक 22 फरवरी, 2014 से ''वॉक-इन-इंटरव्यू'' की नीति जारी की गई है तथा इसकी पूर्ति के लिए दिनांक 31 मार्च, 2016 तक अवधि बढ़ाई गई है।

(5) विशेष पिछड़ी जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 7-35/2002/आ.प्र./एक दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ''जब कभी संविदा शाला शिक्षक तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये भर्ती की जाना हो तो विभाग/संबंधित कार्यालय द्वारा विज्ञापन अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए ताकि पिछड़ी जनजाति वर्ग के इच्छुक अभ्यार्थी उक्त पद हेतु आवेदन कर सकें। इस प्रकार से प्राप्त आवेदनों में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता रखता है तो उसे अन्य उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति प्रदान की जाये''।

3.15 लेखा शाखा

मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं शासकीय भुगतानों पर आयकर/गणना/कटोत्रा एवं विभाग का त्रैमासिक व वार्षिक ईटीडीएस रिटर्न व फार्म-16 समय-सीमा में प्रेषित किया गया।

3.16 कर्मचारी कल्याण

(1) शासकीय सेवकों की समस्याओं का आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान करने के लिये शासन द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री/विभागीय/विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित की गई है, इन समितियों की बैठक वर्ष में चार बार करने के निर्देश है।

(2) माननीय राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक विधान-सभा में दिनांक 08/12/2015 को आयोजित की गई थी।

(3) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 13/02/2015 को आयोजित की गई थी।

(4) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 22/12/2015 को आयोजित की गई थी।

(5) शासकीय सेवकों के कल्याण एवं समस्या के निराकरण हेतु शासन को सुझाव देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति का गठन कर श्री रमेश चन्द्र शर्मा को दिनांक 24/08/2015 को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

3.17 कार्य नीति

स्थानान्तरण नीति - प्रतिवर्ष शासन द्वारा राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तर किये जाने हेतु नीति बनाई जाती है। स्थानांतर नीति दिनांक 15/04/2015 को जारी की गई थी जो वर्तमान में प्रचलित है।

स्थानान्तरण प्रकोष्ठ

रिट पिटीशन क्रमांक 5260/2004 डॉ. जगतसिंह परिहार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में ''स्थानान्तरण नीति'' के विरुद्ध किए गये स्थानान्तरणों से संबंधित अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार स्थानांतरण के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है।

शासन द्वारा जारी ''स्थानांतरण नीति 2015-16'' के विरुद्ध स्थानांतरण प्रकोष्ठ (सामान्य प्रशासन विभाग) में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से कुल 87 अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

गोपनीय प्रतिवेदन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में चैनल निर्धारण की कार्यवाही की जाती है एवं प्रतिवेदन लिखने के संबंध में नियमानुकूल मार्गदर्शन दिया जाता है।

3.18 निरीक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 06/09/2004 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए गये।

संभागीय आयुक्त मुख्यालय से बाहर कम से कम 5 रात्रि तथा जिला कलेक्टर 3 रात्रि विश्राम करेंगे। आयुक्त अपने अधिनस्थ प्रत्येक जिला कार्यालय का वर्ष में एक बार तथा कलेक्टर अपने अधिनस्थ तहसील कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 5 दिवस अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं।

राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालयों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) ''मंथन 2014'' समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही -

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में ''मंथन 2014'' का दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर, 2014 को प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजन किया गया जिसमें चर्चा हेतु 07 विषय समूह बनाये गये।

मध्यप्रदेश के निर्माण एवं चहुंमुखी विकास के लिये राज्य शासन द्वारा चिन्हित प्राथमिकताओं पर प्रभावी कार्यवाही करने की दृष्टि से ''मंथन 2014'' की अनुशंसाओं को क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। ''मंथन 2014'' समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रचलित है।

(2) सुराज मिशन -

लोक कल्याण शिविरों का आयोजन प्रत्येक विकासखंड में माह मे एक बार निश्चित दिन पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव / विभागाध्यक्षों /संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्धारित प्रारूप में मासिक डायरी का संधारण आन लाइन द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। मासिक डायरी में अधिकारियों द्वारा माह में अपने प्रभार के विभाग में जो भी प्रमुख निर्णय लिये गये हों अथवा प्रमुख कार्य किये गये हैं उनका विभागवार उल्लेख किये जाने के निर्देश है।

(4) जन सुनवाई

जनता की आम समस्याओं को ध्यान में रखते हुये उनके तत्काल निराकरण हेतु समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया है कि ''विभागाध्यक्ष से लेकर विकास खण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के, 1 कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11.00 से दोपहर 01.00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे।''

(5) परख

आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की मॉनिटरिंग हेतु ''परख'' कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के तृतीय गुरूवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग का आयोजन किया जाता है।

(6) दृष्टिपत्र -2018

16 सुशासन पर 100 दिवसीय कार्ययोजना

16.3.2 विभागों और उनके अधिकारियों की परफारमेंस का ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से निगरानी और मूल्यांकन किया जायेगा।

- वर्तमान में विभागों का सतत मूल्यांकन होता है परंतु अधिकारियों के लिये यह व्यवस्था नहीं है अब अधिकारियों के परफारमेंस मूल्यांकन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी।
- इसके लिये विभागवार सूचकांक (Indicator) तथा मापदण्ड विभागों से जानकारी प्राप्त कर तय किये जाएगें।
- प्रथम चरण के रूप में वर्क्स डिपार्टमेंट तथा लोक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग मे 100 दिन में यह व्यवस्था लागू करने की योजना है।

16.4.6 स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र अमल में लाकर, प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। शिक्षा प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

- छात्र-छात्राओं का स्कूल में प्रवेश लेते ही स्कूलों के माध्यम से आवेदन पत्र भरवाकर जाति प्रमाण प्रदाय किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

16.5.2. सभी विभागीय अधिनियमों, नीतियों और नियमों के प्रावधानों की अतिरेकता को पहचानने के लिये प्रयास करने की व्यवस्था लागू की जायेगी। इनके सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएगें।

- 100 दिनों में इस लक्ष्य की पूर्ति के प्रथम चरण में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे कि उनके विभाग द्वारा क्रियान्वित - उपयोग किये जा रहे विभागीय अधिनियमों, नीतियों और नियमों की जानकारी प्रस्ताव के साथ अटल बिहारी वाजपेई लोक प्रशासन संस्थान को उपलब्ध कराऐ। अ.बि.वा. लोक प्रशासन संस्थान स्वयं एवं विशेषज्ञों की मदद से 100 दिन में सुधार की अनुशंसा करेगा।

16.5.3. केन्द्रीकरण, सहभागिता और कम समय में काम करने के लिये अंतर विभागीय कार्य को व्यवस्थित किया जायेगा।

- 100 दिनों में ''अंतर विभागीय कार्य'' को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से समस्त विभागों से उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं वर्तमान व्यवस्था सुधार के विषय में उनके सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। इन सुझावों के अध्ययन एवं परीक्षण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में विश्लेषण दल गठित किया गया है। दल की अनुशंसाओं के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यवस्थित निर्देश/परिपत्र जारी किये जायेंगें।

16.6.3. प्रशासन अकादमी सचिवालयों और संचालनालयों, दोनो में ही मंत्रालय के कर्मचारियों हेतु बडे स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। अकादमी द्वारा जिलों में नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकेन्द्रिकृत रूप से भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(7) प्रशासन अकादमी भोपाल

प्रशासन अकादमी भोपाल द्वारा वर्ष 2015-16 में शासन के लगभग 40 विभागों के लगभग 350 प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे प्रदेश के लगभग 12,000 अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

(8) मंत्रालय में वाई-फाई कनेक्टिविटी

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों को तीव्र गति की सुरक्षित अबाधित तथा गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश इस

विभाग के पत्र दिनांक 05/06/2014 द्वारा जारी किये गये हैं। यह सुविधा मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये भी लागू की गई है।

(9) ''आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश'' सम्मेलनों का आयोजन

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ''आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश'' सम्मेलन की सुलभ एवं सुदृढ़ व्यवस्थाओं में और सुधार करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें आमंत्रित अतिथियों/नागरिकों के लिये इसका लाभ प्राप्त होना सुलभ हो।

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

राज्य शासन द्वारा सरकार की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.08.2005 द्वारा मध्यप्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामांकित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जानकारी पर आधारित 17 बिंदुओं का मैन्युअल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग एवं कार्मिक के लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए :-

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई। दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	कार्यवाई प्रचलित
1100	1087	13

प्रथम अपील प्रकरणों की संख्याः-

प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	निराकृत अपील दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	कार्यवाई प्रचलित
170	170	निरंक

कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	कार्यवाई प्रचलित
177	114	63

कार्मिक से संबंधित प्रथम अपील प्रकरणों की संख्याः-

प्राप्त अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	निराकृत अपील दिनांक दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015	कार्यवाई प्रचलित
65	35	30

जनसामान्य के उपयोग के लिए मार्गदर्शिका का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशन कराया गया है।

3.21 संसदीय कार्य

वर्ष 2015-16 में विधान सभा के तीन सत्र आयोजित हुये। इन सत्रों में विभाग में प्राप्त विधान सभा प्रश्न एवं पूर्ण उत्तर भेजे जाने का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	सत्रकाल	प्राप्त प्रश्न	स्थिति
1	फरवरी-मार्च - 2015	98	89 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भेजे गए
2	जुलाई - 2015	62	53 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भेजे गए
3	दिसम्बर - 2015	37	28 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भेजे गए
	योग - 3 सत्र	197	170 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भेजे गए

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन

राज्य विभाजन के फलस्वरूप राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी के अन्तिम राज्य आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 17/04/2007 के तहत याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति द्वारा समिति की 26वीं बैठक परिभ्रमण के द्वारा संपन्न की जाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत 83 प्रकरणों पर विचार विमर्श कर, निर्णय उपरांत भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में राज्य आवंटन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों पर छत्तीसगढ शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही प्रचलित है।

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय को निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है -

(1) **अधिकारी पुस्तकालय** (Officers' Library) :- इसमें हर विषय की पुस्तकें संकलित की गई है।

(2) **संदर्भ पुस्तकालयः-** इसमें अधिनियम (Acts), संहिता (Codes), नियमावली (Manual Gazette & Gazetteer, Census), रिपोर्टस आदि शासकीय एवं

अशासकीय कामकाज के प्रकाशन उपलब्ध है जो विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं।

मंत्रालय पुस्तकालय में लगभग 27502 पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं। 1971 के बाद क्रय की गई पुस्तकों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त गजट, रिपोर्ट, सेन्सस, पुराने गजेटियर जैसे इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जजमेन्ट, ए.आई.आर. (A.I.R.), सुप्रीम कोर्ट केसेज, 1997 से अब तक के बजट, समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विनियोग लेखे एवं विभागों से आए हुए प्रतिवेदनों का संकलन उपलब्ध है।

(3) **उप पुस्तकालय -**

मंत्रालय में गजट, मध्य प्रदेश 1956 से 1980, भारत गजट 1956-1980, सेन्सस, इन्साक्लोपिडिया तथा प्राचीन पुस्तकों का संकलन उपलब्ध है। समय -समय पर बाहर से आए हुए शोधार्थियों की मांग पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) **मंत्रालय पुस्तकालय के अधिनस्थ अभिलेखागार कक्ष -**

पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखा के अन्तर्गत दो अभिलेख कक्ष निम्नानुसार है-

(अ) विन्ध्याचल भवन में विभिन्न विभागों द्वारा 5 साल से अधिक पुरानी नस्तियों को सीधे विन्ध्याचल स्थित अभिलेख कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष की क्षमता दस लाख नस्तियां रखने की है।

(ब) मंत्रालय अभिलेख कक्ष में सेन्ट्रल प्रोविन्सेज के अभिलेख जैसे, महाकौशल स्टेट, विन्ध्य प्रदेश स्टेट, रीवा स्टेट 1918, 1920 से 1956 तक की अवधि के अभिलेख उपलब्ध है। इस अभिलेख कक्ष में शोधार्थियों को शोध की सुविधाएं प्रदान की जाती है। शोधार्थियों से रु. 1500.00 सुरक्षा निधि के रूप में लिए जाते हैं।

(5) **मंत्रालय पुस्तकालय का बजट व व्यय -**

पुस्तकालय हेतु आयोजना मद में राशि रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) आवंटित की जाती हैं।

(6) **पुस्तकों का रख-रखाव**

मंत्रालय पुस्तकालय में पुस्तकों का रख-रखाव Dewey Decimal System of Classification के अनुसार किया जाता है। मंत्रालय पुस्तकालय का कम्प्यूटीकरण जारी है।

3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(अ) मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुल प्राधिकृत संख्या 417 नियत है। इसमें सीधी भरती के 291 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्ति के लिए 126 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में सीधी भरती के 233 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त 111 अधिकारी इस प्रकार कुल 344 अधिकारी कार्यरत हैं।

राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन सूची 2012, 2013 एवं 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिये चयन सूची 2014-ए के लिए चयन समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 14/12/2015 एवं 15/12/2015 को संपन्न हुई थी। चयन सूची 2012, 2013 एवं 2014 एवं चयन सूची 2014-ए में शामिल अधिकारियों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2015 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तथा वर्ष 2014-ए की चयन सूची द्वारा 04 अधिकारियों को गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त किया गया है।

(ब) वर्ष 2015-2016 में आवंटन वर्ष 2011 के 08, आवंटन वर्ष 2006 के 02, आवंटन वर्ष 2001 के 02 व 2002 के 12, आवंटन वर्ष 1999 के 04, आवंटन वर्ष 1992 के 11 तथा आवंटन वर्ष 1984 के 08 व आवंटन वर्ष 1985 के 02 अधिकारियों को क्रमशः वरिष्ठ समय वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, प्रवर श्रेणी वेतनमान, अधिसमय वेतनमान, प्रमुख सचिव ग्रेड एवं मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नति दी गई है।

अखिल भारतीय सेवाऐं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले और 50 वर्ष की आयु/25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के प्रकरणों की समीक्षा दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को संपन्न हुई, इसमें 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 43 अधिकारी तथा 50 वर्ष की आयु तथा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 123 अधिकारियों की समीक्षा की गई।

(स) भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रजल रिपोर्ट) की ई-फाईलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। पीएआर की ई-फाईलिंग को ऑपरेशनल

करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) तैयार कराया गया है एवं वर्ष 2014-15 के गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रजल रिपोर्ट) ऑन लाईन लिखे जाने के लिए सभी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के PAR प्रपत्र कम्प्यूटर में तैयार कर संबंधित को प्रेषित किये। निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को समय-समय पर PAR online एवं मैन्युअली भेजकर कर मतांकन की कार्यवाही online पूर्ण की जाकर संबंधित अधिकारी को PAR Disclose किए गए।

(द) वर्ष 2015-2016 में निम्नानुसार उल्लेखनीय कार्य किये गयेः-

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की स्थिति में 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, इनमें से 18 अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। आलोच्य अवधि में 03 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध जांच लंबित होने से वर्तमान में प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई है।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2004 से नियुक्त अधिकारियों की नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रान नं. (PRAN No.) आवंटित करने की कार्यवाही आयुक्त, पेंशन (नोडल अधिकारी) के माध्यम से सतत रूप से कराई जा रही है।

(3) दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की स्थिति में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में 07 प्रकरण समाप्त किये गये तथा 01 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति से संबंधित समाप्त किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में आवंटन वर्ष 1985, 1986, 1990-91 एवं 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के इम्पेनलमेंट के संबंध में विजिलेंस क्लीयरेंस की जानकारी भारत सरकार को भेजी गई।

(4) 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त प्रायः सभी शिकायतों का यथासमय प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में 19 शिकायतों का निराकरण किया गया।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदों की कुल संख्या 774 है।

1. सीधी भर्ती/पदोन्नति

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद	- 774
कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नति के पद	- 387
कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के पद	- 387
वर्ष में पदोन्नति से भरे हुए पद	- 247
सीधी भर्ती से भरे पद	- 258

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही

कुल प्रकरण	- 113
वर्ष में निराकृत प्रकरण	- 034

विभागीय जांच के 11 प्रकरणों पर अनंतिम निर्णय पर सहमति हेतु लोक सेवा आयोग को प्रेषित।

3. न्यायालयीन प्रकरण

कुल न्यायालयीन प्रकरण	- 258
जवाबदावा प्रस्तुत	- 231

4. पेंशन प्रकरण

कुल निराकृत प्रकरण	- 056

पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण हेतु वन-टू-वन सुनवाई अक्टूबर/नवंबर, 2015 में की गई।

5. अचल संपत्ति विवरण

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2015 के (31/12/2015 की स्थिति में) विभाग में प्रस्तुत, अद्यतन अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर दर्ज किया गया।

31 जनवरी, 2016 तक लगभग 60 प्रतिशत राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण पत्रक प्राप्त। शेष विवरण 29 फरवरी, 2016 तक प्राप्त हो जाऐंगे।

6. क्रमोन्नति

दिनांक 01/01/2015 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27/07/2015 को संपन्न हुई। उपयुक्त पाये गये अधिकारियों के क्रमोन्नति आदेश निम्नानुसार जारी किये गये :-

1. अधिसमय वेतनमान	03
2. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	16
3. प्रवर श्रेणी वेतनमान	22
4. वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	46

वर्ष 2016 की क्रमोन्नति हेतु समिति की बैठक दिनांक 01/02/2016 को आयोजित की गई।

7. पदक्रम सूची

दिनांक 01/04/2015 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया, तथा उसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

8. प्रशिक्षण

वर्ष 2014-2015 में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 30 अधिकारियों को तृतीय मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया। यह कार्यक्रम दिनांक 04/01/2016 से 05/02/2016 तक की अवधि में आयोजित हुआ और इसके अंतर्गत प्रशासन अकादमी भोपाल के अलावा मैसूर, मुंम्बई और ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष 2012 राज्य प्रशासनिक सेवा का (नवीनतम बैच) का आधारभूत सह परिचायात्मक प्रशिक्षण पूर्ण।

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के मिड-केरियर एवं अन्य प्रशिक्षण (09) स्तरीय की विस्तृत कार्य योजना लागू की गई।

9. गोपनीय प्रतिवेदन

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के वर्ष 2014-15 (01/04/2014 से 31/12/2015) की स्थिति में प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों की प्राप्ति का स्टेटस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

10. भर्ती

वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं 2015 के लिए प्रस्ताव/मांग लोक सेवा आयोग को भेजे गए।

11. पदोन्नति

तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख से उप जिलाध्यक्ष के पद पर दिनांक 01/01/2014 एवं 01/01/2015 की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया।

तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख से उप जिलाध्यक्ष के पद पर दिनांक 01/01/2016 की स्थिति में पदोन्नति हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा रहा है।

12. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

चयन वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से रिक्तियों को निर्धारण कराया गया और 16 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की गई।

13. नवाचार/पहल

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये 09 स्तरीय प्रशिक्षण कार्य योजना लागू।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये यूनिक एम्प्लाई कोड जारी।

(3) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये अचल संपत्ति विवरण तथा गोपनीय प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17 से ऑनलाईन किये जाने का प्रस्ताव है।

(4) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की फोटो युक्त यूनिक आई.डी. तथा फोटो युक्त हिस्ट्री बुक का प्रकाशन किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सम्पूर्ण स्थापना का कार्य संपादित किया गया है, साथ ही मंत्रालय में गैर सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं माननीय मंत्रीगणों की निजी स्थापना में विशेष सहायक एवं निज सचिव (वरिष्ठ वेतनमान) की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही भी इस कक्ष द्वारा की गई।

1. पदोन्नति

वर्ष 2015-16 में मंत्रालय सेवा के उप सचिव, अवर सचिव, स्टाफ आफिसर, निज सचिव, अनुभाग अधिकारी पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 24/01/2015 को कराया गया एवं अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 25/03/2015 एवं 26/10/2015 को कराया गया। उपलब्ध रिक्तियों अनुसार 02 अतिरिक्त सचिव, 05 उप सचिव, 21 अवर सचिव, 08 स्टाफ आफिसर, 08 निज सचिव एवं 56 अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई।

2. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की दिनांक 01/04/2015 की स्थिति में पदक्रम सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

3. विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण

मंत्रालय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के पूर्व से संस्थित 09 प्रकरण विचाराधीन हैं।

4. न्यायालयीन प्रकरण

वर्तमान में 02 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, दोनों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिनमें आगे सतत् कार्यवाही प्रचलित है।

5. पेंशन प्रकरण

वर्ष 2015 (जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक) में सेवानिवृत्त 57 अधिकारियों में से 55 अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया गया है। शेष 02 प्रकरणों के अन्तिम निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

6. चल/अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के (दिनांक 31/12/2015 की स्थिति में) विभाग में प्रस्तुत अद्यतन अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाइट पर दर्ज किये जाने की कार्यवाई प्रचलन में है।

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

1. पदोन्नति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पदों में संभावित रिक्त पदों की गणना कर प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी से दिसम्बर अंत तक संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर पदोन्नति के योग्य शासकीय सेवकों की सूची तैयार की जाती है। इसी अनुक्रम में वर्ष 2015 में सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 के 67, सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के 75 तथा चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर 14 पदोन्नति हेतु आदेश प्रसारित किये गए।

2. नियुक्ति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में सीधी भरती की कार्यवाही हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित करायी जाकर आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2015 में सीधी भर्ती (बैकलॉग) के सहायक ग्रेड-3 के 07 पदों (02 निःशक्तजन) की पूर्ति की गई है। इसके अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण कर 03 सहायक ग्रेड-3 के पदों की पूर्ति की गई है।

3. अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण

विभागीय जांच के 04 एवं आपराधिक स्वरूप के 04 प्रकरण प्रचलित हैं।

4. कर्मचारियों को प्रशिक्षण

वर्ष 2015 मे 09 कर्मचारियों को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

5. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में पदक्रम सूची बनाकर वेबसाईट पर जारी की गई।

6. पंजी संधारण एवं महत्वपूर्ण कार्य

मंत्रालय के कर्मचारियों के बैंक लोन से संबंधित 159 प्रकरण बैंक को अग्रेषित किये गये। सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर 215 परिपत्र अपलोड किये गये। मंत्रालय के तृतीय श्रेणी के 500 कर्मचारियों के ई-मेल आई.डी. जनरेट की गई तथा मंत्रालय के 100 कर्मचारियों को वाई.फाई. कनेक्टिविटी प्रदाय की गई एवं सी.एम. मॉनिट के 29 प्रकरण तथा आर.टी.आई. के 56 प्रकरण निराकरण हेतु अग्रेषित किये गये।

7. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण

वर्ष 2015 में दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि में कुल 25 पेंशन प्रकरण हैं। माह दिसम्बर तक 17 पेंशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया शेष यथा समय निराकरण किये जायेंगे।

8. चल-अचल संपत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों के 31.12.2015 की स्थिति में प्रस्तुत अद्यतन स्थिति में अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर दर्ज किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ श्रेणी - स्थापना)

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना, मंत्रालय की साफ-सफाई, देख-रेख/रख-रखाव तथा मशीन उपकरण एवं स्टेशनरी/फर्नीचर के क्रय संबंधी आदि कार्य, मंत्रीगण/अधिकारीगण के कक्षों की साज-सज्जा, सिविल/विद्युत/जल/सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण शाखा द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।
2. मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 635 पद स्वीकृत हैं।
3. वर्ष 2015 में चतुर्थ श्रेणी शासकीय संवर्ग में 08 भृत्यों को दफ्तरी के पद पर पदोन्नति दी गई।
4. वर्ष 2015 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 07 कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं 08 कर्मचारी दिवंगत हुए। जिनमें 10 कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

5. मंत्रालय के नियमित एवं मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्रीगणों की निजी स्थापना में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों का सेवा सत्यापन किया गया एवं जुलाई, 2015 में वार्षिक वेतनवृद्धि दी गई।
6. वर्ष 2015 में मंत्रालय में पदस्थ नवनियुक्त 73 भृत्यों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
7. वर्ष 2015 में 02 चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
8. वर्ष 2015 में मंत्रालय के अधिकारियों एवं शासकीय सेवकों के भृत्य के 1548 स्थाई प्रवेश पत्र बनाये गये।
9. मध्यप्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में वर्ष 2014-15 में आयोजित कमिश्नर/कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन।
10. 02 अक्टूबर, 2015 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो निरंतर जारी है।
11. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस (01 नवम्बर, 2015) समारोह पर माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा मंत्रालय एनेक्सी के भूमि पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान।
12. प्रतिमाह वंदे मातरम् गान का आयोजन।

निम्नलिखित शपथ कार्यक्रम सम्पन्न करायेः-

1. दिनांक 25.01.2015 को मतदाता दिवस।
2. दिनांक 21.05.2015 को आतंकवाद विरोध दिवस का शपथ कार्यक्रम।
3. दिनांक 20.08.2015 को सांप्रदायिक सद्भाव दिवस
4. दिनांक 31.10.2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस।
5. दिनांक 19.11.2015 को राष्ट्रीय अखण्डता दिवस।
6. दिनांक 26.11.2015 को संविधान दिवस।
7. दिनांक 10.12.2015 को मानव अधिकार दिवस।
8. दिनांक 26.12.2015 को सुशासन दिवस।

4. विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में दो सदस्यों के पद भरे हैं, जिनमें से एक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

(2) वर्ष 2015 में आयोजित परीक्षाऐं एवं सीधे साक्षात्कार द्वारा किये गये चयनः-

प्रतियोगी/लिखित परीक्षा द्वारा (दिसम्बर 2015 तक)

स.क्र.	परीक्षा का नाम	पद संख्या	परीक्षा में उपस्थित की संख्या	सफल उम्मीदवारों की संख्या	साक्षात्कार में आमंत्रित की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या
1.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	722	4384	1979	1802	710
2.	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013	755	9591	2270	माह फरवरी से साक्षात्कार	
3.	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2014	591	176054	9503 आवेदक मुख्य परीक्षा हेतु चयनित		
4.	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014	591	8955	मुख्य परीक्षा का चयन परिणाम शेष		
5.	सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र/विस्तार) अधिकारी	130	2749	437	414	08 से 19 फरवरी 2016 में साक्षात्कार
6.	जिला मलेरिया अधिकारी	42	880	140	139	42
7.	दंत शल्य चिकित्सा अधिकारी	50	1764	124	122	50
8.	सहायक कृषि यंत्री-2013	04	298	13	13	29.01.2016 को साक्षात्कार
9.	सहायक भौमिकीविद	10	186	34	20+05+14 कुल 39	30.01.2016 को साक्षात्कार
10.	खनि अधिकारी	06	295	19		
11.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2014	371	16661	5191	14 मार्च 2016 में मुख्य परीक्षा आयोजित की जावेगी।	

सीधे साक्षात्कार द्वारा (दिसम्बर 2015 तक)

स.क्र.	परीक्षा का नाम	पद संख्या	प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या	साक्षात्कार में आमंत्रित की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या
1.	बीमा चिकित्सा अधिकारी	77	252	163	70
2.	चिकित्सा अधिकारी	1271	1807	1768	874
3.	सहायक अनुसंधान (भाषा शास्त्र) एवं सामाजिक शिक्षा	01	52	10	01

(3) **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-**

1. आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को छोड़कर सभी परीक्षाऐं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की है को ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के तहत किये जाने के निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन परीक्षा प्रारंभ की जा चुकी है।
2. आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में वर्षो से प्रचलित ऐच्छिक विषयों की प्रचलित परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर सभी अनिवार्य विषयों के साथ नवीन परीक्षा प्रणाली एवं नवीन पाठ्यक्रम तैयार कराया जाकर लागू किया गया।
3. आयोग द्वारा तकनीकी स्तर के पदों हेतु नवीन संयुक्त परीक्षा ''राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा'' योजना एवं पाठ्यक्रम निर्धारित कर लागू किया गया एवं नवीन योजनानुसार प्रथम परीक्षा दिनांक 07 एवं 08 नवम्बर, 2015 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

(4) परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाने के लिये आयोग द्वारा निम्नांकित कार्यवाही प्रारंभ की गई है:-

1. परीक्षार्थियों को ओ.एम.आर. शीट प्रदान करना।
2. ऑनलाईन परीक्षा के उपरांत आवेदकों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. एवं आयोग की वेबसाईट पर आवेदकों को रिस्पांस शीट उपलब्ध कराना।
3. आयोग द्वारा ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के तहत सहायक भौमिकीविद् एवं खनि अधिकारी परीक्षा-2013, सहायक कृषि यंत्री परीक्षा-2013 एवं राज्य अभियांत्रिकी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2014 परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा चुकी है।
4. परीक्षा समाप्ति उपरांत मॉडल आन्सर वेबसाईट पर अपलोड करना।

(5) **ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं:-**

1. Exam Management System - परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात ऑनलाईन रिर्पोटिंग सबमिट करने की व्यवस्था।
2. DPC - शासन के विभिन्न विभागों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की कार्यवाही को वेबबेस्ड डी.पी.सी. सॉफ्टवेयर के माध्यम से डी.पी.सी. के प्रस्ताव प्राप्त करना, ग्रेडिंग करना एवं डी.पी.सी. की कार्यवाही पूर्ण करना।
3. Court Case Management - आयोग के विरूद्ध न्यायिक याचिकाओं के त्वरित प्रबंधन हेतु कोर्ट केस मेनेजमेंट साफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है जिसके माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों का व्यवस्थित मेनेजमेंट कार्य संपादित किया जा सकेगा।

4. Demand Letter - शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले मांग पत्रों को प्राप्त करने हेतु डिमांड लेटर साफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है जिसके माध्यम से डिमांड लेटर ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे एवं ऑनलाईन ही पत्राचार के माध्यम से query की दशा में उनका निराकरण त्वरित किया जा सकेगा।

4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

परिचय

अकादमी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। तत्समय इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान था। संस्थान को वर्ष 1975 में वर्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया तथा वर्तमान में इसका नाम आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश है। राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्मित इस संस्थान को मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1987 में प्रशिक्षण हेतु नोडल ऐजेंसी घोषित किया गया। राज्य की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था होने से यह मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के लिये प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 1992 में ओवरसीज डेव्लपमेंट अथॉरिटी यू.के. तथा भारत सरकार के तत्वाधान में प्रायोजित ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' एवं ''जेण्डर प्लानिंग'' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमी क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत यह मध्यप्रदेश के अतिरिक्त कुछ राज्यों के प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। मार्च 1994 में इसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में अकादमी को भारत सरकार ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेष्ठ कार्य योजना के लिये भी सम्मानित किया है। वर्ष 2003-04 में इसे आई. एस. ओ. 9001-2001 प्रदान किया गया था। वर्तमान में भी पुनः अकादमी को वर्ष 2015-16 में आई.एस.ओ. 9001-2008 प्रदान किया गया है।

लक्ष्य

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना, जो शिक्षा और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।
- समस्त लोक सेवकों के लिये दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धति सहित, विविध पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायिक दक्षता एवं नैतिकता के उच्च मापदण्डों को प्रोत्साहित करना है।
- प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना, कि वे समाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे सकें।

गुणवत्ता नीति

गुणवत्ता नीति से आशय उन प्रमुख नीतियों से है, जिन्हें लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से अकादमी के द्वारा लागू किया जाना है। इस अकादमी की गुणवत्ता नीति निम्नानुसार है:-

- दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के उच्चतम मानदण्ड निर्धारित करना और उन्हें लागू करना ताकि सेवा प्राप्त करने वाले संगठनों एवं प्रशिक्षणार्थियों को संतुष्ट किया जा सके।
- समस्त कार्यो की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, उनका मानकीकरण करना एवं उनमें निरंतर सुधार लाना।
- सभी संबंधित वर्गों को ''गुणात्मक सुधार समूह'' में सम्मिलित कर गुणवत्ता को निरंतर बढाना।
- सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को उनके व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराना ताकि उनके व्यक्तिगत विकास के साथ ही संस्था का विकास हो।

उद्देश्य

अकादमी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिये प्रशिक्षण नीति निर्माण में सहयोग एवं सलाह देना।
2. संपूर्ण राज्य में आवश्यकतानुसार राज्य की अन्य संस्थाओं को प्रशिक्षण के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन देना।
3. राज्य की उच्च सेवाओं के लिये सीधी भर्ती द्वारा चयनित व पदोन्नत अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की संरचना व आयोजन करना।
4. प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्य करना।
5. प्रशिक्षण के क्षेत्र में नये विकास को समाहित करने की दृष्टि से अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से सतत सम्पर्क तथा सहयोग बनाये रखना।
6. निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना:-
   (क) भारत सरकार
   (ख) राज्य सरकार
   (ग) भारत सरकार के उपक्रम
   (घ) राज्य सरकार के उपक्रम
   (ड) निर्वाचित जनप्रतिनिधि
   (च) पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी
   (छ) नगरीय निकाय के पदाधिकारी

(ज) स्वयं सेवी संस्थायें
(झ) जिला एवं प्रदेश स्तरीय अन्य प्रशिक्षण संस्थायें

प्रमुख उपलब्धियां

अकादमी द्वारा वर्ष 2014-2015 में 276 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। वर्ष 2015-2016 में दिनांक 31/12/2015 की स्थिति में 244 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसमें 8,369 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए। मार्च, 2016 तक 103 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 3,500 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित होंगे।

वर्ष 2015-16 में 17 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

मंथन का आयोजन

''मंथन'' शासन के शीर्ष स्तर के नीति निर्धारक एवं मैदानी अधिकारियों के बीच समग्र रुप से संवाद और विचार-विमर्श और उस पर चितंन करने की प्रक्रिया है, ताकि शीर्ष स्तर पर कार्यक्रम एवं नीति निर्धारण के समय मैदानी हकीकत को समाहित किया जा सके। साथ ही मैदानी अमले को योजना/कार्यक्रम का सही स्वरूप ज्ञात हो सके, जिससे कि विभिन्न नीतियों/योजनाओं के और भी बेहतर एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकें।

राज्य शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन करने के लिये समग्र रुप से विचार-विमर्श हेतु दिनांक 27-28 सितम्बर, 2014 तक की अवधि में 2 दिवसीय राज्यस्तरीय मंथन-2014 का सफलतापूर्वक आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रशासन अकादमी, भोपाल के द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जनसुनवाई का आयोजन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार के लंबित प्रकरणों एवं शिकायतों के शीघ्र निराकरण करने के लिये सार्वजनिक जन सुनवाई का कार्यक्रम दिनांक 10/09/2014 से 12/09/2014 तक की अवधि में रखा गया था। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हेतु जन सुनवाई कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रशासन अकादमी, भोपाल के द्वारा किया गया।

नरोन्हा स्मृति व्याख्यान

अकादमी में प्रदेश के सुविख्यात लोकसेवक पद्मविभुषण स्व. श्री आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा की स्मृति में ''आर्थिक सुधार एवं लोकसेवक'' विषय पर माननीय श्री जयंत सिन्हा,

राज्य मंत्री, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 15/06/2015 को व्याख्यान आयोजित किया गया।

शासन की समीक्षा बैठक

प्रदेश में अवर्षा तथा कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित आंकलन के लिये प्रदेश के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदेश के जिलों के भ्रमण एवं किये गये आंकलन की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30/10/2015 को प्रशासन अकादमी में संपन्न हुई, उक्त समीक्षा बैठक का प्रस्तुतीकरण दिनांक 03/11/2015 को किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अकादमी द्वारा किया गया है।

प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट पद्धतियों का उपयोग

प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट पध्दतियों के उपयोग हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रशासन अकादमी, भोपाल को अप्रैल, 2015 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए है। उल्लेखनीय है कि यह देश की एक मात्र प्रशासन अकादमी है जिसे एक साथ 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी शिक्षकों की सेवाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा ''विद्या'' परियोजना का शुभारंभ 5 सितम्बर, 2013 को किया गया। विद्या परियोजना को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिनांक 12 अप्रैल, 2015 को ''प्रशिक्षण में नवाचार के राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है।

''उद्यम संसाधन योजना सहित प्रशिक्षण कैलेण्डर तथा अनुवर्ती कार्रवाई की तैयारी'' भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिनांक 12 अप्रैल 2015 राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रशासन अकादमी में उपलब्ध अधोसंरचना

43 एकड़ के अकादमी परिसर में प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस एवं सेमीनार आयोजन की समुचित व्यवस्था है। भवन में कार्यालयीन कर्मचारियों, ग्रंथालय, संकाय सदस्यों के कक्षों के अतिरिक्त 11 व्याख्यान कक्ष, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल, एक आडिटोरियम, एक मिनी थियेटर, चार कम्प्यूटर लेब एवं एक आधुनिक क्लास रूम है।

निःशक्तजनों की सुविधा के लिये प्रशासनिक भवन में बाधा रहित रैम्प, दो बाधा रहित टायलेट (महिला एवं पुरूष) का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु

आमंत्रित व्याख्याताओं एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिये परिसर में सात विशेष अतिथि कक्ष आधुनिक सुविधा से सुसज्जित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों के लिये कमरों 182 (300 बिस्तर) वाला वातानुकूलित सामान्य अतिथि भवन है।

अकादमी के पास एक व्यवस्थित लाईब्रेरी है, जिसमें लगभग 36,000 पुस्तकों के अतिरिक्त 336 सी.डी./डी.व्ही.डी. है। ग्रंथालय में राष्ट्रीय एवं स्थानीय 20 समाचार पत्र एवं 65 पत्रिकाऐं नियमित रूप से आते हैं। वर्तमान में ग्रंथालय कार्य प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड करने हेतु ग्रंथालय में ई-लिब सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।

अकादमी में स्थापित विशिष्टीकृत केन्द्र/परियोजना/प्रकोष्ठ

अकादमी में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की सहायता से विशिष्ट विषयों पर संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये है जो संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, शोध, प्रचार-प्रसार साहित्य निर्माण आदि कार्य करते है। वर्तमान में स्थापित केन्द्र निम्नानुसार है:-

क्र.	**केन्द्र/परियोजना/सोसायटी का नाम**
1.	सूचना का अधिकार हेतु क्षमता संवर्धन परियोजना
2.	सभी के लिये प्रशिक्षण परियोजना
3.	मध्यप्रदेश महिला संसाधन केन्द्र
4.	सेटकाम केन्द्र तथा एड्यूसेट स्वान परियोजना
5.	विश्व व्यापार संसाधन केन्द्र
6.	स्पोटर्स कल्चर एवं यूथ वेलफेयर सोसायटी
7.	ज्ञान प्रबंधन एवं सुशासन केन्द्र
8.	हुडको चेयर
9.	नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन परियोजना
10.	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट)
11.	सेवोत्तम प्रकोष्ठ

अकादमी में स्वीकृत पदों की संख्या

क्र.	**श्रेणी तथा उसके अंतर्गत पदनाम**	**कुल स्वीकृत पद**
1.	प्रथम श्रेणी	16
2.	द्वितीय श्रेणी	06
3.	तृतीय श्रेणी	50
4.	चतुर्थ श्रेणी नियमित	19
5.	आकस्मिकता निधि	26
6.	दैनिक वेतन भोगी	19

4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग का कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अधीन द्वितीय अपीलों की सुनवाई करना एवं वर्षान्त में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना है।

आयोग को वर्ष 2015-16 के लिए रूपये 418.38 लाख का बजट आवंटित है।

वर्तमान में म.प्र. राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 05 सूचना आयुक्त हैं।

राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी

क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक	निराकृत आवेदनों संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक
1	397	397

राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील आवेदन प्राप्त एवं निराकृत की जानकारी :-

क्र.	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक	निराकृत प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक
1	57	57

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत अपीलों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक	निराकृत द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक
1	4507	6326

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त शिकायतों की संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक	निराकृत शिकायतों संख्या दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक
1	1055	782

4.4 लोकायुक्त संगठन

भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिये राज्य शासन द्वारा 1 मार्च, 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया जिसे समाप्त कर दिनांक 14/02/1982 को लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई। मप्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा प्रतिवर्ष संपादित कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015 तक निष्पादित कार्य के संबंध में संक्षिप्त टीप एवं आंकड़ों सहित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015 तक संगठन में कुल 4716 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से 241 शिकायतें जांच हेतु पंजीबद्ध की गई है तथा संगठन में उक्त अवधि में 4047 शिकायतें नस्तीबद्ध की गई एवं 05 शिकायतें आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग को भेजी गई।
2. प्रश्नांकित अवधि में 16 प्रकरणों में विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।
3. शासन के विभिन्न विभागों से 105 प्रकरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर दण्डित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई, संगठन में इस अवधि में 475 प्रकरण समाप्त किये गये। संगठन की पहल पर उक्त अवधि में रूपये 8,93,55,416/- राशि की वसूली किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये।
4. दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015 तक की अवधि में 411 ट्रेप प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
5. (छापे) कुल 26 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, पद के दुरूपयोग के संबंध में 197 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। उक्त अवधि में कुल 634 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। 26 छापों के प्रकरणों में लगभग राशि रू. 44.24 करोड़ की संपत्ति प्रथम दृष्टया उजागर हुई।
6. इस अवधि में 530 चालान काटे गये तथा 439 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किये गये एवं 91 प्रकरणों में आगामी तिथि नियत है।
7. न्यायालय द्वारा 145 प्रकरणों में दण्ड आदेश पारित किया गया है।
8. इस प्रकार लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना की कार्यवाही दस वर्षों में सर्वाधिक रही, जो कि माननीय मुख्यमंत्रीजी, की जीरो टालरेंस नीति का परिचायक है।
9. म.प्र. राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 04/02/2015 के द्वारा विशेष पुलिस स्थापना जबलपुर संभाग के कार्यालय निर्माण हेतु ग्राम जबलपुर पटवारी हल्का नं.4 (पुराना

24/1) स्थित भूमि खसरा नं.260 में से रकबा 0242 हेक्टेयर (25000 वर्ग फुट) आर.बी.सी. 4(1) की कंडिका 36 में निहित प्रावधान अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है।

4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की जांच की जाती है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2015 में पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

अपराध निराकृत का स्वरूप				योग निराकृत	प्रारंभिक जांच				योग निराकृत	शिकायत					योग
वर्ष में पंजीबद्ध	चालान/ पूरक चालान	खात्मा	स्था.		वर्ष में पंजीबद्ध	अपराध पंजीबद्ध	नस्तीबद्ध	स्था.		वर्ष में पंजीबद्ध	अपराध पंजीबद्ध	प्रारंभिक जांच पंजीबद्ध	नस्तीबद्ध	स्था.	
52	**24**	**02**	**-**	**26**	**118**	**09**	**-**	**-**	**09**	**294**	**29**	**03**	**29**	**05**	**66**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 आवंटन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम योजना	राशि
1.	जबलपुर इकाई निर्माण कार्य	59.15
2.	भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	26.60
3.	ग्वालियर इकाई निर्माण कार्य	00.00
4.	रीवा इकाई निर्माण कार्य	50.00
	कुल राशि	**135.75**

4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का स्तर तथा लागत व्यय को स्वीकार योग्य मापदण्ड के अनुरूप रखे जाने के संबंध में कार्यो का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति में जांच प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	नवीन प्रकरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	गंभीर प्रकरण	लंबित गंभीर प्रकरण	निराकृत गंभीर प्रकरण	शिकायत निराकृत	लंबित शिकायत	वसूली राशि (लाख में)
1.	**188**	**1536**	**45**	**06**	**05**	**01**	**02**	**03**	**53.19**

संगठन द्वारा वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2015-16 के चालू वर्ष में प्राप्त रूपये 404.42 लाख के विरूद्ध कुल रूपये 258.21 लाख का व्यय किया गया।

आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण

मुख्य तकनीकी परीक्षक की विशेष कार्यप्रणाली के तहत संगठन को नवम्बर, 2015 में ISO 14001-2004 प्राप्त हुआ।

4.7 विभागीय जांच आयुक्त

राज्य शासन के अधीन पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त विभागीय जांच का गठन किया गया है। उक्त पद पर न्यायिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है। वर्तमान में यह पद रिक्त है।

उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	01 जनवरी, 2015 को पूर्व से लंबित प्रकरणों की संख्या	34
2.	31 दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त नये प्रकरणों की संख्या	00
3.	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	34
4.	31 दिसम्बर, 2015 तक निराकृत/वापिस किये गये प्रकरणों की संख्या	00
5.	शेष बचे प्रकरणों की संख्या	34

4.8 मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल भवन, नई दिल्ली तथा मध्यलोक, मुम्बई

(1) मध्यांचल भवन के लिये 4005 वर्गमीटर भूमि वर्ष 2001 में शहरीय विकास मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्रय की गई थी। जिसका Land Premium हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में प्रचलित व्यावसायिक दरों के आधार पर 75% आवासीय एवं 25% व्यावसायिक भूखण्ड की दरों से रूपये 12.86 करोड़ एवं वार्षिक भूभाटक (Ground Rent) लागत की 2.5% की दर से 32.14 लाख प्रतिवर्ष की मांग राज्य शासन से की थी।

''मध्यांचल'' में कोई व्यावसायिक गतिविधियां प्रस्तावित न होने के कारण राज्य शासन द्वारा 25% भूखण्ड हेतु व्यावसायिक दरों की मांग के विरूद्ध शहरीय विकास मंत्रालय एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रारंभ से ही विरोध प्रकट कर केवल आवासीय दरों पर पूरे खण्ड की दरें निर्धारित करने की मांग की थी, परन्तु राज्य शासनों से भवनों हेतु 75% आवासीय एवं 25% व्यावसायिक दरों पर भूखण्ड

आवंटन के शहरी विकास मंत्रालय के नियमों एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण एक व्यावसायिक संस्था होने के कारण इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया।

मध्यप्रदेश भवन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से मध्यांचल भूखण्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण (एक व्यावसायिक संस्था) द्वारा आवंटित किये जाने के बाद भी शहरीय विकास मंत्रालय के निर्णय अनुसार राज्य शासन को यह भूखण्ड केन्द्रीय शासन की दरों पर आवंटित हो सका।

मध्यप्रदेश भवन के अधिकारियों के अथक प्रयासों के कारण ही उपरोक्त निर्णयानुसार राज्य शासन को भूखण्ड की लागत में लगभग रूपये 6.97 करोड़ के साथ वर्ष 2001 से 2015 तक भूभाटक में 2.61 करोड़ यथा कुल 9.58 करोड़ की बचत हुई। वहीं आने वाले समय में प्रतिवर्ष रूपये 17.42 लाख भूभाटक के रूप में कम देने होंगे।

उपरोक्त प्रयासों से मध्यप्रदेश भवन के अधिकारियों ने उत्कृष्ट नेतृत्व के माध्यम से उत्कृष्ट मापदण्ड स्थापित कर राज्य शासन के हितरक्षण, उचित मार्ग निर्देशन एवं उच्च स्तर पर लगातार राज्य शासन का पक्ष रख कर प्रकरण में राज्य हित में निर्णय कराने में योगदान दिया है।

(2) मध्यांचल अविकसित इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज में स्थित है। यहां उपरोक्त अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस इत्यादि से संपर्क कर मार्ग सुदृढीकरण, चौडीकरण, स्ट्रीट लाईट, परिवहन हेतु बसों का संचालन, सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस की मोबाईल वैन की व्यवस्था इत्यादि सहित इन संस्थाओं से करोड़ों रूपयों के कार्य करवाए गए जिससे मध्यांचल की सुख-सुविधाओं एवं सुरक्षा में वृद्धि हुई है।

(3) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पुर्ननिर्माण करने का निर्णय लिया है। चाणक्यपुरी जहां मध्यप्रदेश भवन स्थित है वहां दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में भवन निर्माण हेतु ग्राउंड का कवरेज 30% FAR 120 तथा भवन की उंचाई 15 मीटर तक सीमित है।

पुर्ननिर्माण के समय मध्यप्रदेश भवन में राज्य की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए समुचित संख्या में सर्वसुविधायुक्त आधुनिक कक्षों का निर्माण हो सके, इस हेतु ग्राउंड कवरेज, FAR एवं भवन की उंचाई बढाने हेतु शहरीय विकास मंत्रालय एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण से निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी प्रयासों के तारतम्य में ''राज्य भवनों'' हेतु अलग श्रेणी वर्गीकृत करने तथा चाणक्यपुरी क्षेत्र में ''राज्य भवनों'' हेतु ग्राउंड कवरेज 30% से 50% FAR 120 से 150 एवं उंचाई 15 मीटर रखने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया

गया है। इस अनुशंसा पर प्राधिकरण द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व 30 दिवस में आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस अनुशंसा के विरूद्ध एवं ग्राउंड कवरेज 50% FAR 200 तथा भवन उंचाई सीमा रहित के साथ अन्य प्रावधान किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिल्ली विकास मंत्रालय में आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं। मध्यप्रदेश भवन द्वारा अन्य राज्यों की भी आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

इस प्रकार मध्यप्रदेश भवन के अधिकारियों के निरंतर प्रयासों से मध्यप्रदेश भवन के पुर्ननिर्माण में ग्राउंड कवरेज 50% FAR 200 एवं उंचाई सीमा बंधन रहित दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर प्रावधान होने की पूर्ण संभावना है, जिससे वर्तमान में उपलब्ध कक्षों की संख्या में पुर्ननिर्माण के समय आधुनिक सुविधाओं के साथ लगभग दो गुने से ज्यादा कक्ष उपलब्ध हो सकेंगे, जो राज्य की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

(4) मध्यांचल में राज्य के अतिविशिष्ट अतिथियों के लिये दो सुईट का निर्माण राज्य सड़क विकास निगम द्वारा लगभग पूर्ण कर दिया है, जिनका उपयोग अतिविशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इसी तरह मध्यांचल के 12 सामान्य कक्षों की आंतरिक साज-सज्जा में परिवर्तन कर उन्हें सेमी-डीलक्स कक्षों में भी परिवर्तित कर दिया गया है। मध्यांचल के विशिष्ट कक्षों में परिवर्तन/परिवर्द्धन का कार्य प्रगति पर है।

(5) मध्यांचल में माह सितम्बर, 2015 में एक विशिष्ट बैठक का 5 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के कई वरिष्ठ सदस्यों के साथ अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक के दौरान मध्यांचल व्यवस्था की प्रायः गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रशंसा की गई थी।

(6) पुराने अधिवास नियम में आवश्यकतानुसार संशोधन कर मध्यप्रदेश भवन/मध्यांचल अधिवास नियम 2015 इस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया है।

(7) मध्यप्रदेश शासन के दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय, उप महानिदेशक (सुरक्षा एवं समन्वय) कार्यालय, विधि विभाग कार्यालय, सूचना केन्द्र एवं अन्य कार्यालयों में बेहतर समन्वय एवं कार्य कुशलता में बढोतरी हेतु एक जगह स्थापित करने के निर्णय के तारतम्य में ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में शहरीय विकास मंत्रालय से लगभग 16,900 वर्गफुट सुपर बिल्टअप व्यावसायिक क्षेत्र क्रय किया गया है। जिसका आधिपत्य लगभग आगामी 3 वर्षों में राज्य शासन को प्राप्त हो जायेगा।

(8) वाशी, नवी मुम्बई में मध्यलोक का निर्माण कार्य राज्य सड़क विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है। भवन का फ्रेम स्ट्रक्चर लगभग पूर्ण होकर फिनिशिंग, वातानुकूलन, लिफ्ट, आंतरिक साज-सज्जा आदि का कार्य प्रगति पर है।

(9) राज्य अतिथि गृह हेतु एडवर्ड विला, कफ परेड, मुम्बई में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के कार्य वित्त विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं।

4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

वर्ष 2015-2016 में म.प्र. मानव अधिकार आयोग को 01/04/2015 से 31/12/2015 तक कुल 8815 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा दिनांक 31/12/2015 तक 7446 शिकायतें निराकृत की गई।

प्रशासन एवं जनता में मानव अधिकारों के प्रति संवेदना जागृत हो, इस हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं सभाओं का विशेष आयोजन किया गया।

साथ ही आयोग द्वारा मासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जाता है।

4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त इकाईयॉ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन किये गये हैं। इन इकाइयों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इन संशोधनों में किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 1994 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के खण्ड (k) में की गई अपेक्षा के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-01/2006/1/4 दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा श्री आर.परशुराम, सेवानिवृत, भा.प्र.से. (म.प्र. 1978) को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 01/10/2013 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

आयोग के कार्य संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-129/1999/1/4 दिनांक 30 जनवरी, 2014 द्वारा आयोग की पदस्थापना में स्वीकृत 70 अस्थाई पदों को स्थायी करने की सहमति प्रदान की गई है, एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-40/2015/1/4 दिनांक 10/07/2015 द्वारा 24 स्थाई पदों का सृजन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-32/2004/1/4 दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 अस्थाई पद तथा एवं जिला स्तर के लिए 176 अस्थाई पद इस प्रकार कुल 197 अस्थाई पद का प्रर्वतन दिनांक 29/02/2016 तक किया गया है।

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने हेतु आयोग मुख्यालय का लोक सूचना अधिकारी उप सचिव (स्थापना) को तथा अपीलीय अधिकारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पदाभिहित किया गया है तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) में जिले में पदस्थ उप जिला निर्वाचन अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत आयोग के निम्नलिखित दायित्व हैः-

1. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना।
2. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण।
3. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-24 में संशोधन के फलस्वरूप अब किसी नगरपालिक निगम के महापौर अथवा किसी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान कराया जाता है। उक्त मतदान भी आयोग के दायित्वों में सम्मिलित किया गया है।
4. मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जनपद पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2015 में माह जनवरी में 04 नगरपालिका निगम में 04 महापौर एवं 05 नगर परिषद् में 05 अध्यक्ष तथा 372 पार्षदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं।

माह जुलाई 2015 (पूवार्द्ध) में 02 नगरपालिका निगम में 02 महापौर, 03 नगरपालिका परिषद् एवं 05 नगर परिषद् में 08 अध्यक्ष तथा 251 पार्षदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं।

माह दिसम्बर, 2015 (उत्तरार्ध) में 03 नगर पालिका परिषद् एवं 05 नगर परिषद् में 08 अध्यक्ष पद तथा 179 पार्षदों के निर्वाचन संपन्न कराये गये हैं।

इसी तरह माह जुलाई 2015 (पूर्वार्द्ध) में नगरीय निकाय के उप निर्वाचन में 01 नगरपालिका परिषद् एवं 01 नगर परिषद् में 02 अध्यक्ष पद के निर्वाचन संपन्न कराये गये है।

माह दिसम्बर 2015 (उत्तरार्द्ध) में 01 नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् में 02 पार्षद पद के उप निर्वाचन सम्पन्न कराये गये है।

उक्त नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन माह जनवरी 2015 से माह दिसम्बर 2015 तक महापौर पद के लिए 06, अध्यक्ष पद के लिए 23 तथा 802 पार्षद पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये है ।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 में निम्न पदों के निर्वाचन संपन्न कराये गयेः-

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1.	पंच, ग्राम पंचायत	360847
2.	सरपंच ग्राम पंचायत	22604
3.	सदस्य, जनपद पंचायत	6774
4.	सदस्य जिला पंचायत	841

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के उपरांत निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गयेः-

स.क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	उप सरपंच	22604
2.	जनपद पंचायत अध्यक्ष	312
3.	जनपद पंचायत उपाध्यक्ष	312
4.	जिला पंचायत अध्यक्ष	50
5.	जिला पंचायत उपाध्यक्ष	50

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2015(पूर्वार्द्ध) में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गयेः-

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1	पंच, ग्राम पंचायत	31538
2	सरपंच ग्राम पंचायत	132
3	सदस्य, जनपद पंचायत	11
4	सदस्य जिला पंचायत	0

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2015(उत्तरार्द्ध) में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गयेः-

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1	पंच, ग्राम पंचायत	10076
2	सरपंच ग्राम पंचायत	107
3	सदस्य, जनपद पंचायत	06
4	सदस्य जिला पंचायत	12

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2015(उत्तरार्द्ध) के अनुक्रम में निम्न जिलों में आम निर्वाचन सम्पन्न कराये गयेः-

1. जिला-अनूपपुर के अंतर्गत जिला पंचायत अनूपपुर के 11 सदस्यों का आम निर्वाचन सम्पन्न कराया गया।
2. जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत दिगौड़ा के 01 सरपंच एवं 20 पद हेतु आम निर्वाचन सम्पन्न कराया गया।
3. जिला-पन्ना के अंतर्गत जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत बड़वारा के 01 सरपंच एवं 20 पंच पद हेतु आम निर्वाचन सम्पन्न कराया गया।

ई.व्ही.एम. संबंधी जानकारी

1. आयोग द्वारा ई.सी.आई.एल., हैदराबाद से 54,000 कंट्रोल यूनिट एवं 1,62,000 बैलेट यूनिट का क्रय किया गया है।
2. इस ई.व्ही.एम. से एक साथ आठ पदों का निर्वाचन किया जा सकता है। इस कारण यह बहुपद एवं बहुस्थान (Multipost and Multiseat) के निर्वाचन हेतु उपयोग में लाया जाने वाली ई.व्ही.एम. है।
3. आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे ई.व्ही.एम. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. से पूर्णतः पृथक है। इसकी सबसे बडी विशेषता डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डी.एम.एम.) है।
4. प्रत्येक निर्वाचन के बाद सीयू में से डीएमएम निकालकर सील करने की कार्यवाही की जाएगी तथा नया डीएमएम लगाकर उसे अगले निर्वाचन के चरण हेतु उपयोग में लिया जाएगा।
5. इस मशीन में निम्नलिखित अन्य विशषताएं भी हैः-
    - यूनिक/अद्वितीय क्रम संख्या
    - रियल टाइम क्लॉक (आर.टी.सी.)
    - समय मुद्रांकन
    - टाईम लॉगिंग

- अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले
- वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्रों का क्रमांक
- टैंपर संसूचक
- लेजर मार्किंग
- पी.सी.बी. का संस्थापन
- पॉटिंग
- बैटरी पॉवर स्टैटस
- प्रिंट
- ब्रैली

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य के साथ यह यात्रा शुरू की है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी हितधारकों के बीच जानकारी का एक सहज प्रवाह हो। शहरी स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संचालन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है ताकि जानकारी प्राप्त करने में देरी, जानकारी की उपलब्धता, चुनाव के लिए आवश्यक योजना, जानकारी का आदान-प्रदान निर्वाचन प्रक्रिया को सहज बनाने हेतु।

चुनौतियां

1. महत्वपूर्ण सफलता कारकः परिवर्तन प्रबंधन, प्रशिक्षण, प्रयोज्य, लचीलापन और पारदर्शिता में सुधार।
2. योजना और चुनावों के संचालन के लिए चुनाव से संबंधित जानकारी की उपलब्धता।
3. सभी हितधारकों के बीच विलंबित संचार।
4. संसाधनों का उपयोग।
5. मध्यप्रदेश (जिला निर्वाचन कार्यालय) में डेटा की उपलब्धता।
6. किसी भी जानकारी को प्राप्त करने हेतु बार बार स्मरण करवाना।
7. पूर्व में निर्वाचन प्रणाली आधारित थी एवं आंकडे जुटाने कठिन था।

उपलब्धियां

1. लैन मूल्यांकन और कार्यान्वयन
2. वेब पोर्टल डिजाइन, विकास और परीक्षण
3. यूआरएल - विभिन्न आवेदन मॉड्यूल (DEMP) निर्वाचन योजना और प्रबंधन और जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना के लिए जिले से डेटा प्राप्त करने के लिए
4. कोर चुनाव प्रबंधन

5. डाटा डिजिटाइजेशन (डीएमएस और ओसीआर)
6. प्रबंधन सूचना प्रणाली
7. वेबसाइट खोज इंजन
8. चुनाव सामग्री प्रबंधन प्रणाली
9. लेखा - मासिक व्यय रिपार्ट
10. फोटो - फुल मतदाता सूची
11. प्रेक्षक रिपोर्ट
12. मतदाता पर्ची वितरण
13. सूचित निर्णय लेने के लिए एमआईएस
14. ई.व्ही.एम. प्रबंधन
15. लेटर मॉनिटरिंग प्रणाली
16. निर्वाचन कार्मिक, अभ्यार्थी, मतदाता आदि के लिये सूचना प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन से संबंधित जानकारी

आयोग द्वारा आगामी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाले क्रमशः 32-32 प्रकार के लिफाफों की संख्या को कम करने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में आयोग द्वारा जिला के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाकर उनसे प्राप्त सुझावों के आधार पर पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पृथक-पृथक फोल्डर तैयार किये गये है। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये नीले रंग का फाईल/फोल्डर तथा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु पीले रंग का फाईल/फोल्डर तैयार किया गया है। उक्त फोल्डरों में 12 प्रकार के प्ररूम एवं परिशिष्टों को फाईल/फोल्डर में उपलब्ध लीफ के अंदर रखा जावेगा, इस प्रकार नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के 32-32 प्रकार के लिफाफों को कम कर 5-5 प्रकार (नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन) लिफाफों का उपयोग आगामी निर्वाचनों में किया जा सकेगा।

सेंस के संबंध में

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-2015 में आयोग द्वारा विभिन्न नवाचार किये गयेः-

- पहली बार यह चुनाव फोटोयुक्त मतदाता सूची से संपन्न कराये गये है,
- पहली बार मतदान के लिये इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया है,
- पहली बार मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया गया जो पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्य है,
- पहली बार मतदाताओं को नोटा (इनमें से कोई नही) का विकल्प उपलब्ध था,

- पहली बार प्रदेश में स्थानीय निर्वाचन में सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग किया गया।

आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-2015 के लिये किये गये विभिन्न नवाचारों के सबंध में मतदाताओं को जानकारी प्रदान करने तथा जागरूक करने के लिये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किये गये। आयोग द्वारा इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को SENSE (Systematic Education,Nurturing & Sensitization of Electorate) नाम दिया गया ।

SENSE के अन्तर्गत आयोग द्वारा निम्न ऐजेन्सियों से मतदाता जागरूकता सबंधी विभिन्न गतिविधियाँ संपादित कराई गई :-

1. आकाशवाणी - आकाशवाणी के विभिन्न एफ.एम.एवं प्रायमरी चैनलों से जिंगल का प्रसारण करवाया गया।
2. दूरदर्शन- दूरदर्शन के चैनल से वीडियो स्पॉट का प्रसारण करवाया गया।
3. एफ.एम.रेडियो चैनल - एफ.एम.रेडियो के विभिन्न चैनलों पर नगरीय निकायों सबंधी प्रचार-प्रसार किया गया।
4. निजि टी.व्ही.चैनल - विभिन्न चैनलों पर नगरीय निकाय सबंधी प्रचार-प्रसार किया गया।
5. सामुदायिक रेडियों - पंचायत सबंधी प्रचार -प्रसार किया गया।
6. मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कारपोरेशन- मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मोबाईल एस.एम.एस.प्रेषित कराये गये।
7. पंचायिका - पंचायतो की मासिक पत्रिका पंचायिका में पंचायत निर्वाचन सबंधी विभिन्न जानकारियों का समावेश किया गया।
8. होर्डिंग्स - प्रदेश में महानगरों में होर्डिंग्स के माध्यम से मतदाता जागरूकता सबंधी क्रियान्वयन किया गया।

4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति

प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति में माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष एवं एक अथवा दो अशासकीय सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनयन/नियुक्ति की जाती है। जनवरी, 2012 में गठित प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति संचालित थी। जो कि वर्तमान में दिनांक 23/12/2013 को समिति का नियुक्ति/मनोनयन निरस्त किये गये है।

4.12 राज्य सत्कार कार्यालय

मध्यप्रदेश में राज्य अतिथियों के भ्रमण कार्यक्रम अनुसार उनके स्वागत, विदाई, आवास, परिवहन, भोजन एवं सुरक्षा आदि समस्त प्रोटोकाल का पालन करने हेतु आधुनिक

सूचना तकनीक का इस्तेमाल करते हुये पारदर्शी सिस्टम का विकास राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा किया गया है। राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की विशेषताये निम्नानुसार हैं:-

1. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है।
2. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम का अनुसरण छत्तीसगढ राज्य द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिये छत्तीसगढ शासन एवं उनके समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी किया गया है। उक्त राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की सराहना छत्तीसगढ सरकार द्वारा की गई है।
3. राज्य अतिथि ऑनलाईन सिस्टम का अनुसरण महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है जिसके लिए राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा उनके अनुरूप सिस्टम तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।
4. राज्य अतिथि पंजीयन - मध्यप्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथि द्वारा भ्रमण कार्यक्रम कहीं से एवं किसी भी समय राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर भरा जा सकता है।
5. राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर प्रथम बार भ्रमण कार्यक्रम फीड करने हेतु यूजर रजिस्ट्रेशन कर पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
6. राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा राज्य अतिथि की श्रेणी एवं सुरक्षा श्रेणी अनुसार अतिथि घोषित करने संबंधी अप्रुवल प्रदान करने पर आदेश तैयार हो जायेगा।
7. राज्य अतिथि घोषित करने संबंधी आदेश संबंधित राज्य अतिथि/ संभाग आयुक्त/ कलेक्टर/ जिला प्रोटोकाल अधिकारी/ राज्य सत्कार कार्यालय को तत्काल ई-मेल पर प्राप्त होगा।
8. राज्य अतिथि के आवास/ परिवहन व्यवस्थाओं यथा रूकने के स्थान का पूरा विवरण कक्ष क्रमांक सहित, वाहन क्रमांक/प्रकार, वाहन चालक का नाम/ दूरभाष क्रमांक इत्यादि की जानकारी राज्य अतिथि को वेब साइट के माध्यम से उनके यूजर रजिस्ट्रेशन/पासवर्ड से ज्ञात हो सकेगी।
9. **प्रोटोकाल मेन्युअल** - राज्य सत्कार कार्यालय की वेब साइट पर प्रोटोकाल मेन्युअल की लिंक में सत्कार व्यवस्था से संबंधित सभी आदेश उपलब्ध रहेंगे।
10. **संचार** - सत्कार व्यवस्था से संबंधित समस्त कलेक्टर/जिला प्रोटोकाल अधिकारी/ स्टेट प्रोटोकाल कार्यालय के सभी अधिकारियों के अद्यतन दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर उपलब्ध रहेंगे।
11. **एसएमएस अलर्ट** - वेब साइट के माध्यम से राज्य अतिथि के जिले में आगमन के पूर्व राज्य शिष्टाचार अधिकारी/संबंधित कलेक्टर/ जिला प्रोटोकाल अधिकारी को राज्य अतिथि के भ्रमण की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे राज्य अतिथि की सत्कार व्यवस्था में कोई चूक न हो।

12. **डेली विजिटर्स लिस्ट** - वेब साइट के होम पेज पर प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथियों की सूची प्रतिदिन वेब साइट पर आम जनता की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेगी।
13. **सिक्युरिटी ऑडिट** - महत्वपूर्ण वीआईपी एवं वीवीआईपी के कार्यक्रमों/ व्यवस्थाओं की पूर्ण गोपनीय एवं सुरक्षा हेतु वेब साइट का सिक्युरिटी ऑडिट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से कराया गया है।
14. **व्ययों की स्वीकृति** - राज्य अतिथि के आवास, परिवहन, भोजन आदि पर होने वाले व्ययों की स्वीकृति संबंधी आदेश तथा भुगतान संबंधी विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से जारी किये जा सकेगें।
15. **राज्य अतिथियों की सूची** - वेबसाइट एवं विकसित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे वर्ष भर प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों से संबंधित व्यवस्था एवं हुये व्यय का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर राज्य सत्कार कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, जिससे राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी।

- **प्रदेश में सत्कार व्यवस्था का सुदृढीकरण**
- **मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम में संशोधन** - मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 1958 में व्यापक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम - 2011 का प्रकाशित किया गया है। मुख्य संशोधन राज्य अतिथियों का सूची-अ एवं ब में वर्गीकरण, शासकीय एवं अशासकीय प्रवास, अवधि, सुरक्षा, वाहन व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था में किया गया है।
- **सुरक्षा व्यवस्था** - प्रदेश में राज्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण पर सुरक्षा, पायलट एवं फालो संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुये विस्तृत निर्देश गृह विभाग द्वारा जारी किये गये।
- **परिवहन व्यवस्था** - राज्य अतिथियों एवं मध्यप्रदेश के वीआईपी एवं वीवीआईपी के सत्कार व्यवस्था हेतु शासकीय वाहनों का अधिग्रहण प्रतिबंधित किया जाकर परिवहन व्यवस्था हेतु निजी ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
- **विशिष्ट अतिथियों की सत्कार व्यवस्था** - विशिष्ट अतिथि यथा - माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं उच्च सुरक्षा प्राप्त महानुभावों के सत्कार, अगवानी एवं विदाई, आवास, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की प्रक्रिया का निर्धारण कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये। इस व्यवस्था पर व्यय हेतु प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले को **आतिथ्य पर व्यय** लेखाशीर्ष में रूपये 2.99 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है।

- **जिला प्रोटोकाल अधिकारी** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को पदेन जिला प्रोटोकाल अधिकारी तथा इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में संयुक्त कलेक्टर को जिला प्रोटोकाल अधिकारी नामित किया गया है।
- **सत्कार शाखा** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्ट्रेट में सत्कार शाखा गठित किये जाने एवं सत्कार शाखा में अमले की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किया गया है।
- **मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति** - प्रदेश के समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारी को मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **आवश्यक संसाधन** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित सत्कार शाखा को टेलीफोन, कम्प्यूटर मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर मय फैक्स, कम्प्यूटर हेतु बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है।
- **वाहन व्यवस्था** - इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में जिला प्रोटोकाल अधिकारी को किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
- **ई-मेल एड्रेस** - प्रदेश के सभी जिला प्रोटोकाल अधिकारियों का ई-मेल खाता एनआईसी पर खोला जाकर सूचनाओं का आदान प्रदान ई-मेल के माध्यम से किया गया।
- **मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस (पूर्वताक्रम) - 2011** - मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स- 1964 का केन्द्रीय एवं अन्य राज्यों के ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स के अनुरूप बनाने तथा नवीन पदों/कार्यालयों के सृजन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश का नवीन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स 2011 प्रकाशित किया गया है।
- **ऑनलाइन एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम** - राज्य सत्कार कार्यालय, विभिन्न राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले शासकीय भोज एवं शासकीय कार्यक्रमों /समारोहों के आमंत्रण/निमंत्रण पत्र भेजने हेतु आमंत्रित अतिथियों के पूर्ण पते, दूरभाष क्रमांक संबंधी विवरण कम्प्यूटर पर दर्ज करने हेतु ऑनलाइन एड्रेस मेनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। उक्त सिस्टम पर आमंत्रित अतिथियों के पूर्ण पते एवं दूरभाष की जानकारी राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर फीड एवं अपडेट की जा सकती है।
- **वी.वी.आई.पी. अतिथियों का आगमन** - दिनांक 10/09/2015 को 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री, भारत एवं दिनांक 28/05/2015 को नीति आयोग की उप समिति की बैठक के भोपाल में आयोजन के अवसर पर 06 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भोपाल आगमन हुआ था। उक्त के संबंध में समस्त सत्कार, सुरक्षा आदि संबंधी कार्य राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा किया गया।

भाग - दो

5. बजट

5.1 मांग संख्या - 01

सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्थापनाओं के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक
1.	राज्यपाल सचिवालय	1	2012	मतदेय - 1,16,50 भारित - 8,38,65	भारित - 8,47	-	भारित - 7,00
2.	मंत्रि परिषद के सदस्यों का वेतन एवं पेट्रोल, अन्य व्यय एवं स्वेच्छानुदान	1	2013	मतदेय - 71,03,00	-	-	मतदेय - 11,17,00
3.	राज्य निर्वाचन आयोग	1	2015	मतदेय - 49,43,95 भारित -10,00	मतदेय - 35,00,80	-	मतदेय - 11,50,00
4.	लोक सेवा आयोग	1	2051	मतदेय - 61,41,65	भारित - 30,00	-	भारित - 2,00
5.	सचिवालय सामान्य सेवाएं, जन शिकायत निवारण, राज्य मंत्रालय के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी, आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली, विशेष आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	1	2052	मतदेय - 94,62,10 भारित -1,60	मतदेय - 22,25	-	-

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक
6	जिला प्रशासन	1	2053 (**आयोजनेत्तर**)	0	-	-	-
7	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं सूचना प्रोद्योगिकी कार्य	1	2055	मतदेय - 15,66,30 भारित - 1,00	मतदेय - 4,60	-	मतदेय - 2,00
8.	आयुक्त म.प्र.भवन, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)	1	2059	मतदेय - 6,06,75	-	-	-
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं - प्रशासन अकादमी, लोकायुक्त कार्यालय, विभागीय जांच आयोग	1	2070	मतदेय - 38,05,54 भारित - 60	मतदेय - 1,33,11	-	मतदेय - 14,60
			2070 (**आयोजना**)	-	68,44	-	-
10.	परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार योजना)	1	2235	मतदेय - 1,00	-	-	-
11	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	1	2251	मतदेय - 35,69,54	-	-	-
12	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1	3451	मतदेय - 25,53,60	-	-	-
13	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लोक सेवा केन्द्रो का निर्माण एवं मध्यांचल भवन का निर्माण	1	4059 (**आयोजनेत्तर**)	1	1,66,00	-	-
(अ)	प्रशासन अकादमी एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो	1	4059 (**आयोजना**)	आयोजना - 27,13,47	52,31,60	-	-
	मांग संख्या - 01 योग			**मतदेय - 3,64,41,76** **भारित - 69,93,50** **आयोजना - 27,13,47**	**मतदेय - 91,26,80** **भारित - 38,47**		**मतदेय - 22,83,60** **भारित - 9,00**

बजट

5.2 मांग संख्या - 02

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक	योग
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं, (मानव अधिकार कार्यालय)	2	2052	मतदेय - 7,00,00	-	-	-	मतदेय - 7,00,00
2.	जिला प्रशासन (गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण)	2	2053	मतदेय - 25,70	-	-	-	मतदेय - 25,70
3.	विशेष जांच आयोग/सरदार सरोवर परियोजना/ सत्कार कार्यालय एवं राज्य सूचना आयोग	2	2070	मतदेय - 11,79,18 भारित - 0	मतदेय - 1,21,60	-	-	मतदेय - 13,00,78 भारित - 0
4.	विविध सामान्य सेवाएं (राजाओं के संबंधितों के सेवकों को भत्ते)	2	2075	मतदेय - 10	-	-	-	मतदेय - 10
5.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना/ लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि/ दुर्घटना में मृतकों के परिवार को सहायता)	2	2235	मतदेय - 40,50,00	-	-	-	मतदेय - 40,50,00
6.	अन्य सामाजिक सेवाएं (अन्य संस्थाओं को अनुदान/ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार)	2	2250	मतदेय - 1,09,50	-	-	-	मतदेय - 1,09,50
	मांग संख्या - 02 योग			**मतदेय - 60,64,48 भारित - 0**	**मतदेय - 1,21,60**	-	-	**मतदेय - 61,86,08 भारित - 0**

भाग - तीन

6. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनायें

(1) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्न कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजनायें गतिशील हैं:-

(अ) भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य

(ब) ग्वालियर इकाई कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कार्य

(स) रीवा इकाई कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कार्य

(द) जबलपुर इकाई कार्यालय भवन निर्माण कार्य

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि रूपये 7,51,11,234/- है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 26.60 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। मुख्यालय नवीन प्रशासनिक भवन में स्थापित होकर कार्य कर रहा है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर के भवन एवं आवास निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि रूपये 2,65,26,475/- है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोई बजट आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। ग्वालियर इकाई नवीन भवन में स्थापित होकर शेष फिनिशिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा एवं आवास निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि रूपये 9,90,00,000/- है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 50.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह योजना आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जावेगी।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि रूपये 3,16,62,000/- है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 59.15 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 आवंटन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आवंटनः-

क्र.	नाम योजना	राशि (लाख में)
1.	जबलपुर इकाई निर्माण कार्य	59.15
2.	भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	26.60
3.	ग्वालियर इकाई निर्माण कार्य	00.00
4.	रीवा इकाई निर्माण कार्य	50.00
	कुल राशि	**135.75**

(3) दिनांक 22/01/2015 को राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश में आयोजित बैठक में प्रकोष्ठ में चल रही योजनाओं के संबंध में योजना सीमा प्रदाय की गई है जिस पर प्रकोष्ठ को शासन से निम्नानुसार बजट प्राप्त हुआ है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्यः-

क्र.	नाम योजना	राशि (लाख में)
1.	जबलपुर इकाई निर्माण कार्य	12.86
2.	भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	78.50
3.	ग्वालियर इकाई निर्माण कार्य	12.30
4.	रीवा इकाई निर्माण कार्य	212.57
5.	भोपाल आवास योजना	01.00
6.	इंदौर आवास योजना	01.00
7.	जबलपुर आवास योजना	01.00
	कुल राशि	**319.23**

2. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ नवीन इकाई सागर एवं उज्जैन

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को अधिक प्रभावी बनाने हेतु जिला सागर एवं उज्जैन में पृथक यूनिट की स्थापना करने हेतु दिनांक 30/09/2013 को शासन स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं नवीन इकाई उज्जैन प्रारंभ की जा चुकी है।

3. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रशासनिक योजना

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को अधिक प्रभावी एवं त्वरित कार्य संपादन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय इकाईयों को आपस में जोड़े जाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित कराने हेतु शासन स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

भाग - चार

7. जांच आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न घटनाओं की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाता है। विगत वर्षो में गठित जांच आयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	भोपाल नगर निगम में अध्यक्ष चुनाव घटना जांच आयोग।	एफ 1-2/2000 दि. 29/01/2000	मान. न्यायमूर्ति श्री एस.के.दुबे	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
2.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर की मृत्यु घटना का जांच आयोग।	एफ 24-10/2004 दि. 06/08/2004	मान. श्री गुलाब सिंह सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
3.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अनियमितता जांच आयोग।	एफ 22-15/2005 दि. 08/02/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलित
4.	सरदार सरोवर परियोजना के फर्जी विक्रय पत्र एवं अनियमिता जांच आयोग।	एफ 24-20/2008 दि. 08/10/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एस. झा	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच रिपोर्ट अपेक्षित
5.	भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग।	एफ 24-09/2010 दि. 25/08/2010	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एल. कोचर	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित
6.	जिला भिण्ड गोली चालन घटना न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-01/2012 दि. 12/07/2012	श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवा निवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दि. 30/06/2015 से	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच रिपोर्ट अपेक्षित

7.	जिला सिंगरौली थाना बैढ़न में हुई गोली चालन घटना की न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-25/2013 दि. 16/12/2013	श्री आर.एस.त्रिपाठी, सेवा निवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
8.	ग्वालियर में दिनांक 03/08/2015 को पुलिस मुठभेड में हुई धर्मेन्द्र कुशवाह की मृत्यु की जांच	एफ 24-03/2015 दि. 17/08/2015	श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवा निवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच रिपोर्ट अपेक्षित
9.	पेटलावद जिला झाबुआ में दि. 12/09/2015 को हुए विस्फोट की घटना की जांच आयोग का गठन	एफ 24-05/2015 दि. 15/09/2015	श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच कार्यवाही प्रचलित

भाग - पांच

8. अभिनव योजना/कार्य

(1) दिनांक 28-29 मई, 2015 को मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 506 में नीति आयोग उप समिति की बैठक का सफल आयोजन किया गया।

(2) दिनांक 01 नवम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(3) म.प्र. मंत्रालय भवन में विस्तार का विस्तार कार्य प्रगति पर है तथा मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा समीक्षा की जाती है।

(4) मंत्रालय के कर्मचारियों के लिये शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु एक्वागार्ड व्यवस्था निरन्तर जारी है।

भाग - छः

9. निकाले जा रहे प्रकाशन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का संकलन वर्षवार प्रकाशित किया जाता है।

भाग - सात

10. महिला सशक्तिकरण

राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग महिलाओं के समग्र विकास के लिये नीतियों के निर्माण एवं उसके पालन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि 19 मई, 1999 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये सभी विभागों में समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सभी विभागों को उनके प्रशासनिक प्रतिवेदन में जेण्डर मुद्दों से संबंधित चेप्टर सम्मिलित करने के निर्देश पत्र क्रमांक एफ 11-19/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 08/05/2015 के द्वारा जारी किये गये हैं। इसी तरह सभी विभागों को जेण्डर रिस्पोंसिव बजट की विभागीय स्तर समीक्षा एवं निगरानी के लिये जेण्डर सेल के गठन के भी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से दिये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर भी पत्र क्रमांक एफ 11-07/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 15/02/2016 के माध्यम से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जेण्डर सेल का गठन किया गया है।

जेण्डर संवेदनशीलता पर अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी बिन्दु को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावाली में जोड़ने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा 19 मई, 2015 को महिला पंचायत में की गई थी। इसका पालन करते हुए पत्र क्रमांक 1017/11-26/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 07/08/2015 के माध्यम से सभी विभागों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नानुसार संशोधन किया है:-

''किन्ही सेवा नियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेण्टल एंड कम्पार्टमेंटवाइस) होगा।''

राज्य शासन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाऐं निर्वाचित होकर कार्यरत है।

भाग - आठ

11. सारांश

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का प्रमुख विभाग है जो सभी विभागों का समन्वय कर राज्य शासन की नीति/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक सेवकों की सेवा से संबंधित नियम/निर्देश, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं विभागीय जांच संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही लोकायुक्त संगठन, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओ के प्रशासकीय विभाग का कार्य करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, निःशक्तजनों, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों तथा महिलाओं के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही शासकीय सेवा में इनके प्रतिनिधित्व की मॉनिटरिंग करता है।

जाति प्रमाण पत्र बनाने में आमजन को आ रही कठिनाई को दूर करते हुए इसका सरलीकरण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

प्रदेश में अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति से निपटने के लिये प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव के आधार पर ग्राम स्तर पर चर्चा/स्थल भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनांक 25, 26 एवं 27 अक्टूबर, 2015 को 3 दिवस के लिये उन्हें आवंटित विकास खंडों के ग्रामों में भ्रमण के लिये भेजा गया था।

वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ग्रामों का भ्रमण एवं प्रदेश में अवर्षा की स्थिति के आंकलन के बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर 30 अक्टूबर, 2015 को प्रशासन अकादमी में कृषि मंथन का आयोजन किया गया था जिसमें सभी अधिकारियों को 5 समूहों में विभाजित किया गया था तथा आधे दिन की चर्चा के उपरांत दोपहर बाद समूह का प्रस्तुतीकरण माननीय मुख्यमंत्रीजी, प्रदेश के अन्य मंत्रीगणों तथा कृषि विशेषज्ञों की उपस्थिति में किया गया था।

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं अनुप्रमाणित शपथ पत्र के स्थान पर स्व घोषणा-पत्र लागू करने तथा दस्तावेज के स्व-प्रमाणीकरण को मान्य किया गया।

मंत्रालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय में स्टाफ की अत्याधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों को दो चरणों में भरने के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।

संवेदनशील प्रशासन को महत्व देते हुए विभाग के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराने के साथ ही सभी संवर्गों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। वरिष्ठता सूचियां भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा विभागीय जांच एवं शिकायतों की प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।

भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से गठित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए उसका आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया गया है।

सुशासन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा अनेक नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

परिशिष्ट - एक

सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों में कार्य आवंटन

कक्ष

1. कक्ष क्रमांक -1

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राजभवन
3. मंत्रि परिषद् (गठन, शपथ-विधि, मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, बजट)
4. मंत्रि परिषद् की बैठक
5. मंत्रि परिषद् उप समितियों के गठन
6. मंत्रियों के विवेकाधीन निधि/जनसंपर्क दौरे/जनसंपर्क अनुदान
7. उच्च न्यायालय
8. लोक सेवा आयोग
9. प्रशासनिक अधिकरण
10. विलीनीकृत रियासतों से संबंधित मामले

    अर्थात

    (एक) एकीकरण करार

    (दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियां निजी संपत्ति, और उनके परिवार के सदस्यों को भत्ते

    (तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रुप में मनाये जाने वाले समारोह

11. वारंट ऑफ प्रेसिडेन्स

2. कक्ष क्रमांक -2

राज्य प्रशासनिक सेवाएं

1. सीधी भरती/डी.पी.सी./स्थानांतरण
2. स्थाईकरण/वरिष्ठता निर्धारण/गोपनीय प्रतिवेदन
3. वेतन निर्धारण
4. विभागीय जांच/अपील
5. न्यायालयीन प्रकरण
6. पुनर्नियुक्ति/सेवावृद्धि

7. प्रशिक्षण
8. जी.आई.एस./जी.पी.एफ
9. गृह निर्माण अग्रिम/अवकाश
10. राज्य सीमा के बाहर की यात्रा
11. अवकाश/परीक्षा अनुमति/परीक्षा में छूट
12. उप जिलाध्यक्षों के पेंशन प्रकरण

3. कक्ष क्रमांक -3

1. शासकीय सेवकों की सेवा की सामान्य शर्ते
2. शासकीय सेवकों के विषय में आचरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी नियम/निर्देश
3. अस्थाई एवं अर्द्ध स्थाई सेवा नियम
4. सेवा भरती नियम
5. सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के मार्गदर्शी निर्देश
6. तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति के नियम/निर्देश/प्रतिनियुक्ति
7. हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन परीक्षा सम्बन्धी नियम/निर्देश
8. मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013
9. अतिशेष कर्मचारियों का संविलियन
10. अनुकम्पा नियुक्ति
11. स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डाक्टरेट) उपाधियां प्राप्त करने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित अग्रिम वेतन वृद्धि
12. शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य
13. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्य
14. तदर्थ रुप से कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण, भरती नियम आदि
15. कर्मचारी संघो द्वारा समय-समय पर दिये गये ज्ञापनों/मांगो पर कार्यवाही
16. वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण
17. वेतनमान/वेतनमान विसंगति के प्रकरण/वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं
18. पदनाम परिवर्तन
19. विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया जाना
20. वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित कार्य

4. कक्ष क्रमांक - 4(1)

1. राज्यपाल का अभिभाषण/कृतज्ञता ज्ञापन
2. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
3. शासकीय भवनों का नामकरण
4. संसद सदस्यों की बैठक
5. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच समन्वय
6. सचिव समिति/विभिन्न समितियों का गठन
7. मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल भवन नई दिल्ली तथा मुबंई स्थित परिसम्पतियों से सम्बन्धित समस्त कार्य
8. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत
9. राज्य चिन्ह
10. छुट्टियां
11. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय केलेण्डर
12. विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दो पर सामान्य निर्देश/अभिमत
13. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन
14. राज्य अतिथिगृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
15. पारितोषक और अलंकरण
16. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
17. राष्ट्रपति से अलंकृत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
18. राष्ट्रीय त्यौहार
19. राज्य के उत्सव और समारोह
20. संयुक्त राष्ट्र संघ
21. राजपत्र (असाधारण/राजपत्रों का प्रदाय)
22. महत्वपूर्ण घटनायें
23. विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना संदेश (शोक)
24. विभिन्न मांग पत्र
25. टैरीटोरियल आर्मी
26. फील्ड फायरिंग रेंजेज
27. ऐसे विषय जो शासन के किसी विभाग को आवंटित न हो
28. भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्य
29. सामान्य चुनाव-सामान्य निर्देश, शिकायतें आदि
30. घोषणाएं-माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण

5. कक्ष क्रमांक 4(2) (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)

राज्य पुनर्गठन से संबंधित समस्त कार्य

6. कक्ष क्रमांक 5

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति
2. गृह निर्माण, वाहन अग्रिम आदि
3. अवकाश, प्रशिक्षण
4. राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन
5. वरिष्ठता निर्धारण, सिविल सूची, संवर्ग परिवर्तन
6. गोपनीय चरित्रावली का संधारण, अखिल भारतीय (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुसार 2007-08 से आगे के वर्षों के वार्षिक पी.ए.आर. डिस्क्लोज करने तथा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, स्थाईकरण
8. विभिन्न राज्यों के लोक सभा/विधान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति

7. कक्ष क्रमांक 6

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. शिकायतें, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच
2. संपत्ति प्रपत्र का संधारण आदि
3. सेवा अभिलेखों का संधारण
4. वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, पेंशन, केन्द्रीय समूह बीमा योजना, जी.आई.एस.आदि लेखा संबंधी कार्य.
5. मंत्रालय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं अवरसचिव, उपसचिव, अपर सचिव, मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक के सेवा अभिलेखों का संधारण वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, वेतन पर्ची जारी करना

8. कक्ष क्रमांक 7(1)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. नियुक्ति
2. पदोन्नति
3. परिवीक्षा/स्थायीकरण
4. पदस्थापना
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. पद निर्माण
7. कर्मचारियों के बायोडाटा का कम्प्यूटरीकरण

8. मंत्री स्थापना में स्टाफ की पूर्ति
9. बैंक ऋण
10. विभाग/कक्षों के कार्य बोझ का अध्ययन
11. आई. टी. सेल
12. गोपनीय प्रतिवेदन
13. पदक्रम सूची
14. मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति
15. मंत्रालय से अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति
16. लेखा प्रशिक्षण
17. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
18. मंत्रालयीन कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण
19. 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन समिति की कार्यवाही

9. कक्ष क्रमांक 7(2)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. पेंशन
2. वेतन निर्धारण
3. वार्षिक एवं अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति
4. अचल संपत्ति का रख रखाव/चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की सूचना ग्राह्य करने की कार्यवाही।
5. अवकाश स्वीकृतियां
6. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के अंतर्गत स्वीकृतियां
7. मध्यप्रदेश समूह बीमा योजना 1985 एवं मध्यप्रदेश परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत स्वीकृतियां, म.प्र. शासकीय कर्मचारी, बीमा-सह-बचत योजना, 2003
8. मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत स्वीकृतियां
9. गृह भाड़ा भत्ता एवं सचिवालय भत्ता की स्वीकृतियां
10. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम तथा यात्रा सुविधा नियमों के अंतर्गत दावों की स्वीकृतियां
11. मूलभूत नियमों के अंतर्गत मानदेय एवं फीस की स्वीकृतियां
12. अनुग्रह, अनुदान एवं विशेष वेतन स्वीकृतियां
13. सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण

10. कक्ष क्रमांक 7(3)

मंत्रालयीन सेवा एवं गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. गैर मंत्रालयीन सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर) के अधिकारियों की पदस्थापना
2. मंत्रालयीन सेवा के अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव/अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति
3. वेतन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि
4. अवकाश स्वीकृति
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायतें
6. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति
7. वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि
8. अचल संपत्ति विवरण का रख-रखाव एवं क्रय स्वीकृति आदि
9. गोपनीय प्रतिवेदन

11. कक्ष क्रमांक 8

विधान सभा से संबंधित समन्वय का कार्य

1. सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होने वाले अन्य विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनायें, स्थगन प्रस्ताव का विभागों को आवंटन तथा विधान सभा आश्वासन, अपूर्ण उत्तरों का समन्वय
2. विभागीय समन्वय कार्य
3. विभागीय डाक वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य
4. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
5. न्यायालयीन प्रकरणों का समन्वय कार्य
6. विभागीय लोक लेखा समिति से संबंधित समन्वय कार्य

12. कक्ष क्रमांक 9(1)

1. प्रशासन अकादमी
2. प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण
3. मध्यप्रदेश की राज्य प्रशिक्षण नीति
4. विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण संस्थाओं में समन्वय
5. म. प्र. सेटकॉम (सेटेलाइट प्रशिक्षण)
6. राज्य प्रशिक्षण परिषद
7. एकल नस्ती एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था

8. सामान्य पुस्तक परिपत्र का पुनरीक्षण
9. मंत्रालय में फाइल मूव्हमेंट सिस्टम
10. मुख्य सचिव मॉनिटरिंग, उच्च प्राथमिकता योजनाओं का समन्वय, घोषणा-पत्र का समन्वय कार्य
11. सचिवालय पुस्तिका का पुनरीक्षण

13. कक्ष क्रमांक 9(2)

1. जिला सरकार प्रणाली
2. द्वि-स्तरीय शासन प्रणाली
3. ग्राम सरकार के गठन का समन्वय
4. प्रभारी सचिवों की नियुक्ति
5. निरीक्षण एवं निरीक्षण रोस्टर
6. सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य कक्षों के विषय छोड़कर शेष का अंतर विभागीय समन्वय
7. टास्क समूह के प्रतिवेदनों पर कार्यवाहीयां/चुनाव घोषणापत्र पर कार्यवाही
8. स्थानांतरण नीति
9. गोपनीय चरित्रावली
10. विभिन्न विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन
11. विघटित कक्ष-9 के अवशेष कार्य
12. नवगठित जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था
13. अंतर्राज्यीय परिषद/मध्यक्षेत्रीय परिषद
14. मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री/मुख्य सचिवों की बैठक, संभागीय आयुक्त/कलेक्टर्स की बैठक
15. विभागाध्यक्ष घोषित करना
16. महिला नीति
17. जनसुनवाई कार्यक्रम

14. कक्ष क्रमांक 10

1. लोकायुक्त संगठन
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सी.टी.ई. संगठन)
3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण, निवारण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत कार्रवाई
4. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित प्रकरण तथा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य
5. अचल संपत्ति विवरण
6. जाली मेडिकल बिलों पर नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य
7. जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अनुविभागीय समितियां
8. जांच आयोग एवं समितियां

15. कक्ष क्रमांक 11

1. मंत्रालयीन अभिलेख, अभिलेखागार
2. पुस्तकालय
3. कनिष्ट सेवा चयन मण्डल

16. कक्ष क्रमांक 12(1)

1. मंत्रालय में कक्षों का आवंटन
2. मंत्रालय, वल्लभ भवन की साफ-सफाई व्यवस्था
3. मंत्रालय में होने वाली बैठकों की व्यवस्था
4. मंत्रालय के लिए फर्नीचर, क्रय मंत्रिगण/अधिकारियों द्वारा वांछित सामग्री की व्यवस्था
5. मंत्रालय में स्टेशनरी प्रदाय
6. कम्प्यूटर, फोटो कापीयर, टाईपराइटर, डुप्लीकेटिंग, घड़ियों की व्यवस्था/रखरखाव
7. लिफ्ट, पानी तथा विद्युत व्यवस्था
8. मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेश-पत्र
9. सेन्ट्रल डाक व्यवस्था
10. वर्दी का प्रदाय
11. पार्किंग व्यवस्था, केंटीन व्यवस्था एवं रद्दी नीलामी

17. कक्ष क्रमांक 12(2)

1. मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना/पदस्थापना
2. मंत्रिगणों की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, पेंशन आदि
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम-अनाज, आदि

18. कक्ष क्रमांक 13

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना
2. राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को राज्य सम्मान निधि
3. केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरणों का केन्द्रीय पेंशन नियमों के अंतर्गत शासन की अनुशंसा प्रेषित करना
4. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को सम्मान निधि, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि के लिये आर्थिक सहायता तथा गंभीर बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता, बजट प्रावधान/आवंटन
5. मिसा/डी.आइ.आर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

19. कक्ष क्रमांक 14 (तीन कक्ष हैं)

1. मंत्रालय का लेखा संबंधी कार्य
2. सामान्य प्रशासन विभाग के बजट का समन्वय
3. वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त अन्य कार्य

20. कक्ष क्रमांक 15

1. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद का गठन, बैठक
2. कर्मचारी संघों को पत्राचार की मान्यता प्रदाय करना
3. विभागीय/विभागाध्यक्ष/संभाग/जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समितियों के गठन की जानकारी
4. सतर्कता समिति की बैठकों से संबंधित कार्य
5. संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों से प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही।

प्रकोष्ठ

1. आरक्षण प्रकोष्ठ

1. लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण आदि से संबंधित अधिनियम/नियम/निर्देश तथा उनका समन्वय कार्य
2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के तहत की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करना
3. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों की नियुक्तियों में आरक्षण तथा सुविधाओं से संबंधित नियम/निर्देश
4. महिलाओं के लिये राज्य शासन की सेवाओं में आरक्षण संबंधी नियम/निर्देश
5. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन-समन्वय

2. मानव अधिकार प्रकोष्ठ

1. मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य

3. पेंशन प्रकोष्ठ

1. मंत्रालय सेवा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का अन्तिम निराकरण कराया जाना.
2. मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य

3. राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का परीक्षण एवं उनका अन्तिम निराकरण कराया जाना आदि

4. पंच-ज प्रकोष्ठ

जन, जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों से संबंधित शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम एवं समन्वय कार्य.

5. स्थानान्तर प्रकोष्ठ

प्रथम श्रेणी अधिकारियों से प्राप्त स्थानान्तरण संबंधी अभ्यावेदन पर कार्यवाही

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रशासनिक कार्य

7. सुशासन प्रकोष्ठ

दिनांक 27-28/09/2014 को मंथन-2014 का आयोजन किया गया।

8. मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रि-परिषद की बैठक की तैयारी एवं बैठक का आयोजन

9. सत्कार कार्यालय

1. राज्य अतिथि घोषित करना, उनकी अगवानी बिदाई तथा उनके आतिथ्य से संबंधित अन्य व्यवस्था
2. अतिविशिष्ट गणों के प्रदेश भ्रमण पर अगवानी, बिदाई, परिवहन व्यवस्था आदि
3. शासकीय भोज के आयोजन पत्र के निमंत्रण संबंधी व्यवस्था
4. व्हीआईपी गेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस में कक्ष आरक्षण
5. विभिन्न राज्यो के सत्कार कार्यालयों से समन्वय

परिशिष्ट - दो

राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची

एक	सामान्य प्रशासन विभाग
दो	गृह विभाग
तीन	जेल विभाग
चार	वित्त विभाग
पांच	वाणिज्यिक कर विभाग
छः	धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
सात	राजस्व विभाग
आठ	परिवहन विभाग
नौ	खेल और युवा कल्याण विभाग (दिनांक 16.07.2007 से परिवर्तित)
दस	वन विभाग
ग्यारह	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार (13.09.2004 से परिवर्तित नाम)
बारह	खनिज साधन विभाग
तैरह	ऊर्जा विभाग
चौदह	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (04.01.2007 से कृषि विभाग का परिवर्तित नाम)
पंद्रह	सहकारिता विभाग
सौलह	श्रम विभाग
सतरह	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
अठारह	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (15.07.2014 से परिवर्तित)
उन्नीस	लोक निर्माण विभाग
बीस	स्कूल शिक्षा विभाग
इक्कीस	विधि और विधायी कार्य विभाग
बाईस	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
तैईस	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग
चौईस	जनसंपर्क विभाग
पच्चीस	आदिम जाति कल्याण विभाग (दिनांक 21.07.2011 से परिवर्तित)
छब्बीस	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (दिनांक 11.09.2013 से परिवर्तित)
सत्ताईस	नर्मदा घाटी विकास विभाग
अट्ठाईस	पुनर्वास विभाग
उन्नतीस	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
तीस	संस्कृति विभाग

इकत्तीस	जल संसाधन विभाग
X बत्तीस	(विलोपित - आवास और पर्यावरण विभाग - 15.07.2014)
तैंतीस	पर्यटन विभाग
चौंतीस	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पैंतीस	पशुपालन विभाग
छत्तीस	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (दिनांक 17.05.2012 द्वारा नाम परिवर्तन)
X सैंतीस	(विलोपित-डेयरी विकास - 03.01.2000)
अड़तीस	उच्च शिक्षा विभाग
X उन्तालीस	(विलोपित - लघु सिंचाई - 24.12.1986)
X चालीस	(विलोपित - आयाकट - 17.08.2001)
इकतालीस	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (दिनांक 12.02.2015 द्वारा नाम परिवर्तन)
बयालीस	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (29.11.2010)
X तिरतालीस	(विलोपित - बीस सूत्र कार्यान्वयन - 17.09.2010)
X चौवालीस	(विलोपित - सार्वजनिक उपक्रम विभाग - दिनांक 19.03.2014)
पैंतालीस	विमानन विभाग
X छयालीस	(विलोपित - नगरीय कल्याण - 22.08.1998)
सैंतालीस	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
अड़तालीस	संसदीय कार्य विभाग
X उनन्चास	(विलोपित - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण - 22.11.1990)
पचास	महिला एवं बाल विकास विभाग
X इक्यावन	(विलोपित - बायो गैस विकास - 06.07.1992)
बावन	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (13.10.2010)
तिरपन	जन शिकायत निवारण विभाग
चौवन	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
पचपन	चिकित्सा शिक्षा विभाग
X छप्पन	(विलोपित - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - 28.07.2014)
X सत्तावन	(विलोपित - जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) विभाग - 25.08.2014)
अट्ठावन	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग (22.12.2005)
उनसठ	आयुष विभाग (09.09.2008)
साठ	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (05.10.2010)
इकसठ	लोक सेवा प्रबंधन विभाग (17.09.2010)
बासठ	विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (22.06.2011)
तिरेसठ	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (21.07.2011)
चौसठ	प्रवासी भारतीय विभाग (15.05.2015)

-- - --

विभागीय समीक्षा

माननीय राज्य मंत्रीजी द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश माध्यम/2016
Printed at : District Offices, BPL